मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

सप्तम् प्रतिवेदन

(दिसम्बर, 2019 सत्र, भाग – 1)

(यह प्रतिवेदन आयुष, उच्च शिक्षा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, खेल और युवा कल्याण, जनसंपर्क, परिवहन, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वित्त , श्रम, संस्कृति एवं सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभागों के आश्वासनों से संबंधित है)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2025 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	एक
2.	प्रस्तावना	दो
3.	प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची	तीन
4.	विभागों के नाम:-	
	(1) आयुष	1
	(2) उच्च शिक्षा	2
	(3) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	3
	(4) ऊर्जा	4-27
	(5) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	28-29
	(6) खेल और युवा कल्याण	30-31
	(7) जनसंपर्क	32
	(8) परिवहन	33
	(9) राजस्व	34-44
	(10) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	45
	(11) वित्त	46
	(12) श्रम	47-48
	(13) संस्कृति	49
	(14) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	50-51
5.	परिशिष्ट ''अ'' (आश्वासन क्रमांक 977 से संबंधित)	52-54
6.	परिशिष्ट ''ब'' (आश्वासन क्रमांक 978 से संबंधित)	55
7.	परिशिष्ट ''स'' (आश्वासन क्रमांक 954 से संबंधित)	56-61

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024-25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर राजपाल	. .	तकनीकी संचालक .
5.	श्री नरेन्द्र मिश्रा	. .	अवर सचिव
6.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्रीमती रोशनी उईके	. .	सहायक ग्रेड-3.

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **सप्तम् प्रतिवेदन (भाग-1)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 16 अगस्त, 2024 को गठित की गई है।

- इस प्रतिवेदन में, **दिसम्बर 2019 सत्र (भाग-1)** में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है।

- समिति की बैठक **दिनांक 17.03.2025** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

- समिति, प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

- समिति, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

भोपाल :

दिनांक : 17.03.2025

हरिशंकर खटीक
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	आयुष	976, 977, 978
2.	उच्च शिक्षा	1045
3.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	834
4.	ऊर्जा	926, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027
5.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	927, 928
6.	खेल और युवा कल्याण	1054, 1055, 1056, 1057
7.	जनसंपर्क	929, 1064
8.	परिवहन	986, 987
9.	राजस्व	991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1086
10.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1042
11.	वित्त	953, 954
12.	श्रम	1014, 1073
13.	संस्कृति	1015
14.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	1165, 1166, 1167, 1168, 1169

दिसम्बर, 2019 सत्र

(1) आयुष विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	**976**	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.133) दिनांक: 19/12/2019 (श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय,)	प्रदेश के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु एलोपैथिक चिकित्सकों के समान की जाना।	परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु एलोपैथिक चिकित्सकों के समान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :- 16/11/2021**	कोई टिप्पणी नहीं.
(2)	**977**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.156 (प्रश्न क्रं.1644) दिनांक: 19/12/2019 (कुँवर प्रद्युम्न सिंह लोधी,)	प्रदेश के आयुष विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण नियमानुसार न होने के कारण उनका पुनरीक्षण किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	सभी प्रकरणों का परीक्षण किया गया। दो प्रकरण नियम विरूद्ध पाये जाने से उनके नियमितीकरण आदेश निरस्त किये गये हैं। **परिशिष्ट ''अ''** **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 02/03/2022	समिति विभागीय अभिमत से सहमत है अग्रेतर कोई टिप्पणी नहीं.
(3)	**978**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.167 (प्रश्न क्रं.1670) दिनांक: 19/12/2019 (श्री हरिशंकर खटीक,)	प्रदेश की महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ग्रेड-पे में संशोधन किया जाना।	प्रक्रियाधीन है।	मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक- 1183/2020/1/59 दिनांक 08.07.2020, द्वारा आश्वासन की पूर्ति की गई है। **परिशिष्ट ''ब''** **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 24/10/2020	विभागीय जानकारी समाधानकारक है कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(2) उच्च शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(4)	**1045**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.123 (प्रश्न क्रं.4210) दिनांक: 25/07/2019 (श्री सुनील सराफ,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 18/12/2019	बड़वानी, अनूपपुर और शहडोल जिले के जिन शासकीय महाविद्यालयों में समस्त क्रय एवं निर्माण कार्यो के संबंध में वर्षवार ऑडिट नहीं हुआ है उनका ऑडिट कराया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	बड़वानी जिले में कुल 9 शासकीय महाविद्यालयों मे से 7 महाविद्यालयों में चाटर्ड अकाउटेंट द्वारा वर्ष 2017-18 तक की अवधि का ऑडिट किया जा चुका है। शासकीय महाविद्यालय, बलवाडी एवं शासकीय महाविद्यालय, पाटी सत्र 2018-19 से प्रारंभ किये गये हैं तथा इन महाविद्यालयों के प्राचार्य आहरण संवितरण अधिकारी नहीं है। अनूपपुर जिले में स्थित कुल 7 शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 तक का तथा शहडोल जिले में स्थित 8 शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2018-19 तक की अवधि का चाटर्ड अकाउटेंट द्वारा ऑडिट किया जा चुका है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 17/12/2020	शेष शासकीय महाविद्यालयों की भी नियमानुसार समयावधि में आडिट प्रक्रिया पूर्ण की जाए, इस अपेक्षा के साथ निराकृत।

दिसम्बर, 2019 सत्र

(3) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(5)	**834**	अतारांकित प्रश्न सं.108 (प्रश्न क्रं.761) दिनांक: 17/12/2019 (श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव,)	धार जिले के 540 किसानों को राज्य पोषित फलोद्यान योजना अंतर्गत शेष सब्सिडी राशि रूपये 324.40 लाख का भुगतान किया जाना।	शासन से बजट उपलब्ध होते ही अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	भुगतान हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई हैं। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :- 26/07/2021**	समाधानकारक जानकारी है, कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(4) ऊर्जा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(6)	**926**	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.273) दिनांक: 18/12/2019 (श्री विनय सक्सेना,)	प्रदेश में सौभाग्य योजना अंतर्गत विद्युतीकरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना । साथ ही घटिया विद्युत उपकरण लगाये जाने की प्राप्त शिकायतों में ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना एवं संबंधित दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही किया जाना ।	(1) शेष नये कनेक्शनों की जांच कार्यवाही जारी है । जांच पूर्ण होने पर शेष जानकारी प्रेषित की जावेगी। (2) उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे, साथ ही उसमें एफ.आई.आर. की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी करेंगे । (3) हमारे अधिकारियों की एक टीम इस मामले की जांच के लिये गठित करेंगे और एक महीने के अंदर इसका जांच प्रतिवेदन आप तक प्रस्तुत करवाएंगे । (4) हरेक पत्र एवं हरेक बिन्दु की विस्तृत जांच एक महीने के अंदर करवायेंगे । (5) हम उसे लागू कराएंगे । (6) उन लोगों को हम मंडला से हटा भी देंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।	(1) प्रदेश में मंडला एवं डिंडोरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किए गए विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में की गई जाँच एवं की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है : (अ) सौभाग्य योजना अंतर्गत मंडला जिले में किए गए विद्युतीकरण कार्य के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यों की जांच पूर्ण की जा चुकी है । जांच प्रतिवेदन अनुसार आर्मर्ड केबलयुक्त कनेक्शनों के कार्यादेशों के विरूद्ध हुई वित्तीय क्षति राशि रूपए 1,55,50,276.00 (एक करोड़ पचपन लाख पचास हजार दो सौ छिहत्तर रूपए) एवं विद्युतीकरण हेतु लाईन विस्तार के कार्यादेशों से कम कार्य कर अधिक भुगतान एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने संबंधी वित्तीय क्षति राशि रूपए 4,95,91,614.00 (चार करोड़ पन्चान्नवे लाख इक्यावन हजार छः सौ चौदह रूपए) कुल राशि 6,51,41,890.00 (छः करोड़ इक्यावन लाख इकतालीस हजार आठ सौ नब्बे रूपए) की अनियमितता पाई गई । मंडला जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत दिए गए नए कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । कार्यादिश अंतर्गत प्रावधानित 38017 नए कनेक्शनों के विरूद्ध जांच में फील्ड पर 16518 नए कनेक्शन ही पाये गये । बिना कनेक्शन किए अतिरिक्त भुगतान संबंधी वित्तीय अनियमितता राशि रूपए 9,61,53,615.00 (नौ करोड़ इकसठ लाख त्रेपन हजार छः सौ पन्द्रह रूपए) की पायी गई । (ब) सौभाग्य योजनान्तर्गत डिंडोरी जिले में लाईन विस्तार के कार्यों की जांच पूर्ण की जा चुकी है । जांच प्रतिवेदन अनुसार जांच समिति द्वारा सत्यापित किए गए कार्यों के अनुसार ठेकेदारों को किए गए कार्यों से राशि रूपए 8,48,96,772.00 (आठ करोड़ अड़तालीस लाख छियान्नवे हजार सात सौ बहत्तर रूपए) का अधिक भुगतान किया जाना पाया गया ।	(1) समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा । (2) जिलेवार नियमानुसार बकाया वसूली की समय पर प्रक्रिया पूर्ण कर उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

				(7) <u>**माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश**</u> **:-** (i) धारा 11(ए) का उपयोग करिए । एफआईआर आदि कार्यवाही करिए। (ii) माननीय मंत्री जी नरसिंहपुर को भी देख लीजिए जो ठेकेदार ने गलत माल सप्लाई किया है उसको ब्लैक लिस्ट भी करिए । (8) ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही कर देंगे ।	डिंडोरी जिले में 24562 नए कनेक्शनों की जांच की जानी थी जिनमें से 11243 कनेक्शनों की जांच की जा चुकी है। शेष 13319 कनेक्शनों की जांच का कार्य कोविड-19 के कारण किए गए लाकडाउन के फलस्वरूप जांच प्रकियाधीन है। (2) मंडला जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किए गए विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए श्री टी.के. मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मंडला एवं श्री एल.के. नामदेव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता मंडला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है । इसके अतिरिक्त 4 सहायक अभियंता एवं 12 कनिष्ठ अभियंता को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है । डिंडोरी जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत कराए गए विद्युतीकरण कार्यों में पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी श्री अशोक निकोसे, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता डिंडोरी एवं श्री अमित कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, डिंडोरी को निलंबित किया जाकर आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है । इसके अतिरिक्त 2 सहायक अभियंता एवं 3 कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है । विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी । (3) मंडला जिले में लाइन विस्तार कार्य एवं कनेक्शनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है । डिंडोरी जिले में लाइन विस्तार कार्य की जांच पूर्ण हो चुकी है तथा नए कनेक्शनों की जांच कोविड-19 के कारण किए गए लाकडाउन के कारण प्रकियाधीन है। (4) एवं (5) जांच में सभी शिकायत पत्रों के बिन्दुओं को समाहित किया गया है। (6) श्री टी.के. मिश्रा, अधीक्षण अभियंता, मंडला को आदेश क्रमांक 1562 दिनांक 18.12.2019 द्वारा निलंबित कर मुख्य अभियंता, रीवा क्षेत्र, रीवा के कार्यालय में एवं आदेश क्रमांक 1564 दिनांक 18.12.2019 द्वारा श्री एल.के. नामदेव, कार्यपालन अभियंता, मंडला को निलंबित कर मुख्य अभियंता, शहडोल क्षेत्र, शहडोल के कार्यालय में संलग्न किया गया । श्री नामदेव माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट-पिटीशन क्रमांक 28642/2019 में दिनांक 6.3.2020 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन अभियंता, संचालन एवं संधारण, उमरिया के पद पर कार्यरत हैं । श्री अशोक निकोसे, अधीक्षण अभियंता डिंडोरी को आदेश क्रमांक 1566 दिनांक 18.12.2019 द्वारा निलंबित कर मुख्य	

					अभियंता, जबलपुर क्षेत्र, जबलपुर के कार्यालय में संलग्न किया गया । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन क्रमांक 6842/2020 में दिनांक 19.3.2020 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक निकोसे अधीक्षण अभियंता, डिंडोरी के पद पर कार्यरत हैं । श्री अमित कुमार विश्वकर्मा, कार्यपालन अभियंता को आदेश क्रमांक 1568 दिनांक 18.12.2019 द्वारा निलंबित कर अधीक्षण अभियंता, कटनी कार्यालय में संलग्न किया गया है । (7) (i) मंडला एवं डिंडोरी जिले हेतु गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है । विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी । (ii) नरसिंहपुर जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किए गए कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (8) सौभाग्य योजना अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में किए गए कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 25/06/2020 Query : प्रकरण में बिन्दु क्रमांक (1) भाग "अ" में विद्युतीकरण कार्य में पाई गई अनियमितताओं में दोषी अधिकारियों पर की गई विभागीय जांच की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति । भाग "ब" में शेष 13319 कनेक्शनों की जांच की कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । बिन्दु क्र0 (2) जांच निष्कर्ष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। बिन्दु क्र0 (3) नये कनेक्शनों की जांच की कार्यवाही की अद्यतन जानकारी एवं बिन्दु क्र0 (7) (i) में जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 29/07/2020) **अद्यतन जानकारी :-** **बिन्दु क्रमांक-(1)** (अ) मंडला जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यों एवं नये कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मंडला जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु दोषी पाये गये तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मंडला को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की जा चुकी है तथा एक कार्यपालन अभियंता, 04 सहायक अभियंताओं एवं 12 कनिष्ठ	

					अभियंताओं के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। प्रथम दृष्टया दोषी कार्मिकों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किये गये है/किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच अधिकारी के कोविड-19 पॉजिटिव पाये जाने के कारण जांच प्रक्रिया कुछ समय के लिये बाधित हुई। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (ब) डिण्डौरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत दिए गए नए कनेक्शनों की जांच हेतु शेष 13319 कनेक्शनों की जांच सहित कुल 24562 कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है। अद्यतन स्थिति में 9693 कनेक्शनों की जांच का प्रतिवेदन म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को प्राप्त हो चुका है एवं शेष 14869 कनेक्शनों का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना प्रतीक्षित है। जांच अधिकारियों को उक्त लंबित जांच प्रतिवेदन शीघ्र देने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच अधिकारी से समेकित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी। **बिन्दु क्रमांक-(2)** सौभाग्य योजना अंतर्गत मंडला एवं डिंडौरी जिले में किए गए विद्युतीकरण कार्यों में पायी गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मंडला जिले में 18 अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं डिंडौरी जिले में 7 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किए गये हैं/किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबधितों को निर्देशित किया गया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। **बिन्दु क्रमांक-(3)** डिण्डौरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत दिए गए नए कनेक्शनों की जांच हेतु शेष 13319 कनेक्शनों की जांच सहित कुल 24562 कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है। अद्यतन स्थिति में 9693 कनेक्शनों की जांच का प्रतिवेदन म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को प्राप्त हो चुका है एवं शेष 14869 कनेक्शनों का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना प्रतीक्षित है। जांच अधिकारियों को उक्त लंबित जांच प्रतिवेदन शीघ्र देने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच अधिकारी से समेकित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी। **बिन्दु क्रमांक-(7)(i)** सौभाग्य	

					योजना अंतर्गत मंडला एवं डिंडौरी जिले में किए गए विद्युतीकरण कार्यों में पायी गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मंडला जिले में 18 अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं डिंडौरी जिले में 7 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किए गये हैं/किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबधितों को निर्देशित किया गया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 05/12/2020 Query : (1) अ – विभागीय जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । ब- प्रकरण में आगामी कार्यवाही पूर्ण किये जाने की अद्यतन जानकारी । (2) विभागीय जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (3) प्रकरण में आगामी कार्यवाही किये जाने की अद्यतन जानकारी । (7) (i) विभागीय जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 10/02/2021) **अद्यतन जानकारी :-** **(1) मंडला जिला** - मंडला जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यों एव नये कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मंडला जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यो में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मंडला को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की जा चुकी है तथा एक कार्यपालन अभियंता, 04 सहायक अभियंताओं एवं 12 कनिष्ठ अभियंताओं, इस प्रकार कुल 18 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। प्रथम दृष्टया दोषी कार्मिकों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किये गये हैं/किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।	

					<u>(2) डिंडौरी जिला</u>- डिंडौरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यों एवं दिए गए नये कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डिंडौरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए 2 अधीक्षण अभियंताओं, 1 कार्यपालन अभियंता, 2 सहायक अभियंताओं एवं 4 कनिष्ठ अभियंताओं, इस प्रकार कुल 09 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। प्रथम दृष्टया दोषी कार्मिकों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किये गये हैं/किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/05/2021 Query : प्रकरण में बिन्दु क्रमांक (1) एवं (2) में विभागीय जांच उपरांत की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 30/06/2021) **<u>अद्यतन जानकारी :-</u>** **<u>(1) मंडला जिला</u>** - मंडला जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यों एवं नये कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मंडला जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कुल 18 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। उक्त 18 विभागीय जांचों में से 17 विभागीय जांचों में विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होकर जांच प्रतिवेदन/निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है। 01 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा श्री टी.के. मिश्रा अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध नए सिरे से आरोप पत्र दिनांक 16/12/2021 जारी किया गया है। कुल 17 में से 08 प्रकरणों में अंतिम दण्डादेश पारित किया जा चुका है, शेष 09 में से 05 प्रकरणों में अंतिम दण्डादेश/दीर्घशस्ति अधिरोपित करने एवं ग्रेच्युटी जप्त करने के संबंध में अपचारी कार्मिकों को नोटिस जारी किये जा चुके है। 3 प्रकरणों में विभागीय जांच निष्कर्ष की प्रति संबंधित अपचारी	

					कार्मिकों को प्रदान कर अभ्यावेदन चाहा गया है एवं 1 प्रकरण में विभागीय जांच निष्कर्ष का विश्लेषण किया जा रहा है। उक्त विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 16 अपचारी कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर की गयी है। जिसमें से 05 प्रकरणों को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, 01 प्रकरण में वसूली योग्य राशि पर आगामी आदेश तक स्थगन प्रदान किया गया है एवं 09 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आरोप पत्रों के विरूद्ध आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है तथा 01 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। **(2) डिंडौरी जिला-** डिंडौरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यों एवं दिए गए नये कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डिंडौरी जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कुल 09 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। उक्त विभागीय जांच में 109 गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया जाना है, जिनमें से 85 गवाहों के परीक्षण एवं 36 गवाहों के पूर्ण प्रतिपरीक्षण तथा 41 गवाहों का आंशिक प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा चुका है। उक्त विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 05 अपचारी कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है। जिसमें से 02 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है एवं अन्य 03 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 27/01/2022	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(7)	1016	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.177) दिनांक: 20/12/2019 (श्री रामकिशोर कावरे,)	(1) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा महाप्रबंधक म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क. को प्रेषित पत्र क्र. 811/2019, दिनांक 11.11.2019 पर जानकारी उपलब्ध कराया जाना। (2) जिला बालाघाट में सौभाग्य योजना में हुई अनियमितताओं की जांच व दोषियों पर कार्यवाही की जाना। (3) प्रदेश में सौभाग्य योजना की निष्पक्ष जांच कराई जाना। (4) प्रदेश में सौभाग्य योजना की म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से टीम गठित कर जांच कराई जाना। (5) प्रदेश में माननीय विधायकों व माननीय मंत्रीगण के सौभाग्य योजना से संबंधित प्राप्त पत्रों पर निष्पक्ष जांच कराई जाना। (6) अखबार में प्रकाशित चालीस करोड़ रूपए के भुगतान पर डेढ करोड़ रूपये रिश्वत दिए जाने की खबर की विस्तृत जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराई जाना।	(1) मैं इसको दिखवा भी लूंगा और जो अपेक्षित जानकारी है, वह पहुंचा भी दूंगा व्यक्तिगत रूप से। (2) जांच दल गठित करके दो माह मे अंदर-अंदर सौभाग्य योजना में जो अनियमितताएं हुई है, उनकी जांच भी कराएंगे और जो अधिकारी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे। (3) मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करता हूं कि निष्पक्ष जांच हम संपादित कराएंगे। (4) मैं मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से एक टीम गठित करके जांच करा दूंगा। (5) जहां से माननीय विधायकों की, माननीय मंत्रीगण की चिट्ठियां आ रही है, उसमें भी निष्पक्ष जांच कराएंगे। (6) मैं अलग से आपको इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।	(1) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय से प्राप्त पत्र दि0 11.11.2019 द्वारा वांछित जानकारी कार्या0 मुख्य महाप्रबंधक (आर.पी.), म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पत्र क्र. 2139, दिनांक 6.12.19 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। (2) जिला बालाघाट के अंतर्गत सौभाग्य योजना में संपादित किये गये कार्यों की जांच हेतु म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं. लिमिटेड, जबलपुर द्वारा आदेश क्र. 62, दिनांक 04.01.2020 के माध्यम से जांच समिति गठित की गई। उक्त समिति द्वारा दिनांक 4.2.20 एवं 5.2.20 को बालाघाट जिले में परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय से संपर्क स्थापित कर स्थल निरीक्षण हेतु दौरा किया गया। उक्त जांच में प्रथम दृष्टया कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। (3) मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत जिला मण्डला एवं डिण्डौरी में दिनांक 01.07.2019 को तथा सीधी एवं सिंगरौली में दिनांक 26.11.2019 को जांच समिति का गठन कर सौभाग्य योजना के कार्यों की जांच करवायी जा रही है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के कारण जाँच लंबित है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भिण्ड एवं मुरैना जिलों में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये कार्यो की जांच हेतु, दिनांक 01.02.2020 को एवं गुना जिले में सौभाग्य योजना की जांच हेतु दिनांक 14.02.2020 को कमेटी का गठन किया गया है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जाँच कार्यवाहीं लंबित है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गधवानी ब्लाक के सौभाग्य योजना में किये गये कार्यों में से कुल 11 ग्रामों की जांच करने हेतु आदेश क्रमांक 2843 दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से जांच समिति गठित कर जांच करवायी गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त योजनांतर्गत किये गये कार्यों में कोई बड़ी विसंगति नही पायी गयी। तथापि कुछ कार्यो में कार्य कुशलता में कमी पायी गयी जिसे आवश्यक सुधार कार्य कर ठीक कराया गया।	प्रकरण में अद्यतन जानकारी हेतु लगातार पत्राचार हुए, विभागीय कार्यप्रणाली के चलते मण्डला, सिंगरौली जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाये। समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है।

					(4) एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा आदेश क्र. 62, दिनांक 04.01.2020 के माध्यम से जांच कमेटी गठित कर दी गई है। वर्तमान में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कोविड-19 माहमारी के कारण हुए लॉकडाउन के फलस्वरूप जांच कार्य प्रभावित हुआ है। (5) माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों से प्राप्त पत्रों में वर्णित प्रकरण उपयुक्त पाये जाने पर कमेटी गठित कर जांच कार्यवाही की जा रही है, अन्यथा प्रकरण की वस्तुस्थिति से संबंधित को अवगत करवा दिया जाता है। (6) श्री राजेश कुमार तिवारी एस.टी.सी. संभाग, शहडोल में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 18.12.19 को लोकायुक्त टीम, रीवा द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने एवं रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के कारण मुख्य अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., शहडोल के आदेश क्र. 3075, दिनांक 19.12.19 के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 29/06/2020 Query : प्रकरण में बिन्दु क्रमांक (3), (4), (5) एवं (6) की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 29/07/2020) **<u>अद्यतन जानकारी:-</u>** (3) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मण्डला, डिण्डौरी, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में सौभाग्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में अनियमितता की जांच, जांच समितियां गठित कर करवाई गयी। जांच समितियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाई गयी अनियमितता हेतु उक्त जिलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये क्रमश: 18, 9, 22 एवं 4 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किये गये हैं/ किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।	

					म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुना, मुरैना एवं भिण्ड जिलों में सौभाग्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में अनियमितता की जांच, जांच समितियां गठित कर करवाई गयी। जांच समितियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाई गयी अनियमितता हेतु उक्त जिलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है/की जा चुकी है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।(4) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मण्डला, डिण्डौरी, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में सौभाग्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में अनियमितता की जांच, जांच समितियां गठित कर करवाई गयी।म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुना, मुरैना एवं भिण्ड जिलों में सौभाग्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में अनियमितता की जांच, जांच समितियां गठित कर करवाई गयी।(5) माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों से प्राप्त पत्रों में वर्णित प्रकरण उपयुक्त पाये जाने पर कमेटी गठित कर जांच कार्यवाही की गई है, अन्यथा प्रकरण की वस्तुस्थिति से संबंधित को अवगत करवा दिया जाता है।(6) श्री राजेश कुमार तिवारी एस.टी.सी. संभाग, शहडोल में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 18.12.19 को लोकायुक्त टीम, रीवा द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने एवं रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के कारण मुख्य अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., शहडोल के आदेश क्र. 3075, दिनांक 19.12.19 के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 5162/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 29.02.2020 को पारित निर्णय के परिपालन में श्री राजेश कुमार तिवारी को निलंबन से बहाल करते हुए अधीक्षण अभियंता (संचालन एवं संधारण) वृत्त टीकमगढ़ कार्यालय में पदस्थ किया गया है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/09/2021 Query : प्रकरण में बिन्दु क्रमांक (3) की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 01/12/2021) **अद्यतन जानकारी:-** विधानसभा प्रश्नोत्तर पोर्टल पर प्राप्त पत्र द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दु पर जानकारी चाही गयी है :- **बिन्दु** : प्रकरण में बिन्दु क्रमांक (3) की अद्यतन जानकारी। **टीप** :	

					दिसम्बर, 2019 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 177 से उदभूत आश्वासन क्रमांक-1016 मूलत: म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत क्रमश: मण्डला, डिण्डौरी, सीधी एवं सिंगरौली तथा मुरैना, गुना एवं अशोकनगर जिलों में सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच कार्यवाही से संबंधित है। उक्त जांच कार्यवाही की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:- (1)**मण्डला जिला** -जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मण्डला जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कुल 18 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। उक्त 18 विभागीय जांचों में से 17 प्रकरणों में विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होकर जांच प्रतिवेदन/निष्कर्ष प्राप्त हो गये थे। उक्त 17 प्रकरणों में से 8 प्रकरणों में अपचारी कार्मिकों के विरूद्ध म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दण्डादेश पारित करते हुए इनको कंपनी सेवाओं से पदच्युत किया गया था।वर्तमान स्थिति में, अपचारी कार्मिकों द्वारा विभागीय जांच के विरूद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, 14 कार्मिकों (कंपनी सेवा से पदच्युत हुए 5 कार्मिक समाहित) के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है एवं 1 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तथा कंपनी सेवा से पदच्युत 8 मे से शेष 3 अपचारी कार्मिकों की प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई है एवं उक्त कार्मिक दण्डादेश अनुसार कंपनी सेवा से पृथक कर दिये गये है। (2)**डिण्डौरी जिला** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डिण्डौरी जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कुल 09 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। वर्तमान स्थिति में, अपचारी कार्मिकों द्वारा विभागीय जांच के विरूद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, 06 कार्मिकों के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है, 2 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तथा शेष 1 कार्मिक के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही में गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। (3)**सीधी जिला** -जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार	

					पर सीधी जिले में सौभाग्य योजनांतर्गत किए गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये कुल 22 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी।वर्तमान स्थिति में, अपचारी कार्मिकों द्वारा विभागीय जांच के विरूद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, 15 कार्मिकों के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है, 4 कार्मिकों के विरूद्ध पूर्व में संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं 2 कार्मिकों की विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होकर, जांच निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है तथा 1 अपचारी कार्मिक श्री आर.सी. पटेल, कार्यपालन अभियंता की मृत्यु होने के कारण नियमानुसार उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही को यथा स्थिति में समाप्त किया गया है।(4)**<u>सिंगरौली जिला</u>** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिंगरौली जिले में सौभाग्य योजनांतर्गत किए गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये कुल 4 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच कार्यवाही में गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत जांच निष्कर्षों के आधार पर संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (5)**<u>मुरैना जिला</u>** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कुल 05 कार्मिकों के विरूद्ध म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुए जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। विभागीय जांच कार्यवाही का कार्य पूर्ण हो गया है। विभागीय जांच कार्यवाही से प्राप्त जांच निष्कर्ष के आधार पर उक्त 5 कार्मिकों में से 1 कार्मिक को आरोप से मुक्त किया गया है एवं 4 दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्डादेश पारित किए गए है। (6)**<u>गुना एवं अशोकनगर जिला</u>** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये कुल 05 कार्मिकों के विरूद्ध म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुए जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। विभागीय जांच कार्यवाही का कार्य पूर्ण हो गया है। विभागीय जांच कार्यवाही से प्राप्त जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी 05 कार्मिकों के विरूद्ध दण्डादेश पारित किए गए हैं। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक** :- 04/04/2023	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8)	**1017**	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्र.1517) दिनांक: 20/12/2019 (श्री कुँवर सिंह टेकाम,)	(1) जिला सीधी-सिंगरौली के ग्राम घोरबंधा, डिघरा एवं बेंदो में दिनांक 30.12.2019 तक केबलीकरण कार्य पूर्ण कर बिजली प्रदाय प्रारंभ किया जाना। (2) प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा सौभाग्य योजना अंतर्गत उपयोग किए गए मटेरियल की जांच कराई जाना तथा खम्बों की कांक्रीटिंग न हीं किए जाने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) दिनांक 30.12.2019 तक केबलीकरण का कार्य पूर्ण करके गांव में लाईट चालू करवा दी जाएगी। (2) **<u>माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश</u> :-** उसका भी परीक्षण करवा लीजिए। कृपया केबल की जांच करवा लें। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित करिए। (3) **<u>विभागीय मंत्री द्वारा आश्वासन</u>:-** जी अध्यक्ष महोदय।	जिला सिंगरौली के क्षेत्रांतर्गत ग्राम घोरबंधा, डिघरा एवं बेंदो में क्षतिग्रस्त लाईन का सुधार कार्य दिनांक 30.12.2019 को पूर्ण कर सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। (2) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यो के सतत निरीक्षण एवं सामग्री की गुणवता सुनिश्चित करने हेतु टर्न-की ठेकेदार/वितरण कंपनी द्वारा विभागीय स्तर से कराये गये कार्यों में केबल सहित प्रयुक्त सामग्री का निर्माणकर्ता फर्म के परिसर में ही वितरण कंपनी के अधिकारियों/थर्ड पार्टी एजेन्सी द्वारा प्री-डिलेवरी इंस्पेक्शन कराया जाता है, जिसके अंतर्गत निविदा की शर्तो/निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री का परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामग्री क्षेत्रीय भण्डार गृह में प्राप्त होने उपरांत रेण्डम सैंपलिंग कर इसका परीक्षण एन.ए.बी.एल. प्रमाणित प्रयोगशाला से कराया जाता है तथा परीक्षण में भारतीय मानकों के अनुसार उचित गुणवत्ता पाए जाने पर ही सामग्री स्वीकार कर उपयोग में लाई जाती है। योजनान्तर्गत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय तौर पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान ही निरीक्षण किया गया एवं पाई गई त्रुटियों का तत्काल स्थल पर ही निराकरण करवाकर गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के उपक्रम आर.ईसी. लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा भी योजनान्तर्गत समय-समय पर चयनित ग्रामों का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता की जॉंच की गई है। कार्य के दौरान ही नियमित रूप से कार्यों की माप एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। तथापि विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत जिला मण्डला एवं डिण्डौरी में दिनांक 16.10.2019 तथा सीधी एवं सिंगरौली में दिनांक 26.11.2019 को सौभाग्य योजना के कार्यों की जांच हेतु समिति का गठन कर जांच करवायी जा रही है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के कारण जॉंच लंबित है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये कार्यों की जांच हेतु जिला मुरैना में एवं जिला गुना में क्रमश: दिनांक 01.02.2020 एवं दिनांक 14.02.2020 को जांच समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जॉंच कार्यवाही लंबित है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गंधवानी ब्लॉक के सौभाग्य योजना में किये गये कार्यों में से कुल 11 ग्रामों की जांच करने हेतु आदेश क्रमांक	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग डिण्डोरी के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार एवं विभागीय जांच अनुसार तथा सिंगरौली जिले में जांच निष्कर्ष अनुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

					2843 दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से जांच समिति गठित कर जांच करवायी गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त योजनांतर्गत किये गये कार्यों में कोई बड़ी विसंगति नहीं पायी गयी। तथापि कुछ कार्यों में कार्य कुशलता में कमी पायी गयी जिसे आवश्यक सुधार कार्य कर ठीक कराया गया। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 29/06/2020 Query : प्रकरण में बिन्दु क्रमांक (2) में कोविड-19 महामारी के कारण लंबित जांच कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 29/07/2020 11:56:29 AM) **अद्यतन जानकारी :-** म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मण्डला, डिण्डौरी, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में सौभाग्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में अनियमितता की जांच, जांच समितियां गठित कर करवाई गयी। जांच समितियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाई गयी अनियमितता हेतु उक्त जिलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किये गये हैं/किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गए कार्यों की जांच हेतु जिला मुरैना एवं जिला गुना में क्रमश: दिनांक 01.02.2020 एवं दिनांक 14.02.2020 को जांच समिति का गठन कर जांच प्रारंभ की गयी है। वर्तमान में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जांच अधिकारियों को निर्देशित किया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 21/01/2021 Query : प्रकरण में जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 10/02/2021)	

					<u>अद्यतन जानकारी:-</u> म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मण्डला, डिण्डौरी, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में सौभाग्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में अनियमितता की जांच, जांच समितियां गठित कर करवाई गयी। जांच समितियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाई गयी अनियमितता हेतु उक्त जिलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये क्रमश: 18, 9, 22 एवं 4 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर कथन दर्ज किये गये हैं/ किये जा रहे हैं एवं गवाहों के परीक्षण एवं प्रति परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुना, मुरैना एवं भिण्ड जिलों में सौभाग्य योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में अनियमितता की जांच, जांच समितियां गठित कर करवाई गयी। जांच समितियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाई गयी अनियमितता हेतु उक्त जिलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है/की जा चुकी है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/09/2021 Query : प्रकरण में जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 01/12/2021) **<u>अद्यतन जानकारी:-</u>** म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत क्रमश: मण्डला, डिण्डौरी, सीधी, सिंगरौली, मुरैना, गुना एवं अशोकनगर जिलों में सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच कार्यवाही से संबंधित है। उक्त जांच कार्यवाही की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:- 1. **<u>मण्डला जिला</u>** -जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मण्डला जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कुल 18 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। उक्त 18 विभागीय जांचों में से 17 प्रकरणों जांचों में विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होकर जांच प्रतिवेदन/निष्कर्ष प्राप्त हो गये थे।	

					उक्त 17 प्रकरणों में से 8 प्रकरणों में अपचारी कार्मिकों के विरूद्ध म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दण्डादेश पारित करते हुए इनको कंपनी सेवाओं से पदच्युत किया गया था। वर्तमान स्थिति में अपचारी कार्मिकों द्वारा विभागीय जांच के विरूद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, 14 कार्मिकों (कंपनी सेवा से पदच्युत हुए 5 कार्मिक समाहित) के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है एवं 1 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तथा कंपनी सेवा से पदच्युत 8 मे से शेष 3 अपचारी कार्मिकों की प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई है एवं उक्त कार्मिक दण्डादेश अनुसार कंपनी सेवा से पृथक है। 2. **डिण्डौरी जिला** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डिण्डौरी जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कुल 09 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। वर्तमान स्थिति में, अपचारी कार्मिकों द्वारा विभागीय जांच के विरूद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, 06 कार्मिकों के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है, 2 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तथा शेष 1 कार्मिक के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही में गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। 3. **सीधी जिला** -जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सीधी जिले में सौभाग्य योजनांतर्गत किए गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये कुल 22 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। वर्तमान स्थिति में, अपचारी कार्मिकों द्वारा विभागीय जांच के विरूद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, 15 कार्मिकों के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित की गई है, 4 कार्मिकों के विरूद्ध पूर्व में संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं 2 कार्मिकों की विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होकर, जांच निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है तथा 1 अपचारी कार्मिक श्री आर.सी. पटेल, कार्यपालन अभियंता की मृत्यु होने के कारण नियमानुसार उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही को यथा स्थिति में समाप्त किया गया है।	

					4. **<u>सिंगरौली जिला</u>** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिंगरौली जिले में सौभाग्य योजनांतर्गत किए गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये कुल 4 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। विभागीय जांच कार्यवाही में गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत जांच निष्कर्षों के आधार पर संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। 5. **<u>मुरैना जिला</u>** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कुल 05 कार्मिकों के विरूद्ध म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुए जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। विभागीय जांच कार्यवाही का कार्य पूर्ण हो गया है। विभागीय जांच कार्यवाही से प्राप्त जांच निष्कर्ष के आधार पर उक्त 5 कार्मिकों में से 1 कार्मिक को आरोप से मुक्त किया गया है एवं 4 दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्डादेश पारित किए गए है। 6. **<u>गुना एवं अशोकनगर जिला</u>** - जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये कुल 05 कार्मिकों के विरूद्ध म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभागीय जांच संस्थित करते हुए जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। विभागीय जांच कार्यवाही का कार्य पूर्ण हो गया है। विभागीय जांच कार्यवाही से प्राप्त जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषी 05 कार्मिकों के विरूद्ध दण्डादेश पारित किए गए हैं। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 10/04/2023	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(9)	**1018**	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.1714) दिनांक: 20/12/2019 (श्री इन्दर सिंह परमार,)	जिला शाजापुर में म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अंतर्गत सब स्टेशनों (ग्रिड) पर कार्यरत् ऑपरेटरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड क्षेत्रान्तर्गत जिला शाजापुर में विद्युत उपकेन्द्रों पर कुल 285 आऊटसोर्स ऑपरेटर कार्यरत हैं, जिनमें से 233 ऑपरेटरों का पुलिस वेरिफिकेशन सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा कराया जा चुका है। शेष 52 आऊटसोर्स ऑपरेटरों के पुलिस वेरिफिकेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माह मार्च-2020 से प्रदेश में कोविड-19 माहमारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति होने से शेष आऊटसोर्स ऑपरेटरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराये जाने की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। हालात सामान्य होते ही शत-प्रतिशत पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य सम्पन्न कराया जा सकेगा। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 22/06/2020 Query : शेष 52 ऑपरेटरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराये जाने की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 30/06/2020) **अद्यतन जानकारी:-** म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड क्षेत्रान्तर्गत जिला शाजापुर में विद्युत उपकेन्द्रों पर कार्यरत आऊटसोर्स ऑपरेटरों में से पुलिस वेरिफिकेशन हेतु शेष 52 आऊटसोर्स ऑपरेटरों सहित सभी 285 आऊटसोर्स ऑपरेटरों के पुलिस वेरिफिकेशन की कार्यवाही दिनांक 22.07.2020 तक पूर्ण कर ली गई है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/08/2020	विभागीय जानकारी आश्वासन की मूल भावना के अनुरूप समाधानकारक है, कोई टिप्पणी नहीं.
(10)	**1019**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.110) दिनांक: 20/12/2019 (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा,)	मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाना।	श्वेत पत्र की तैयारी प्रक्रियाधीन है।	सभी विद्युत कंपनियों को विभाग द्वारा श्वेत पत्र जारी किये जाने की तैयारी हेतु निर्देश दिये गये थे लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के कारण संसदीय कार्य के नियमावली के अध्याय 8 के बिन्दु क्रमांक 9 के तारतम्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आश्वासन पर कोई भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/08/2020	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(11)	**1020**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्र.245) दिनांक: 20/12/2019 (श्री भारत सिंह कुशवाह,)	जिला ग्वालियर में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत अपूर्ण कार्यों से निकाली गई सामग्री क्षेत्रीय भंडार में वापस किया जाना।	क्षेत्रीय भंडार में वापिस कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।	ग्वालियर जिले में प्रश्नाधीन अवधि में 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज योजना अंतर्गत आवेदकों द्वारा 'अ'-श्रेणी के ठेकेदारों के माध्यम से कराए जा रहे लाईन शिफ्टिंग के कार्यों के स्वीकृत कुल 194 प्राक्कलनों में वापिस की जाने वाली सामग्री में कण्डक्टर स्क्रेप एवं स्टील आयरन स्क्रेप का प्रावधान था। उक्त 194 कार्यों में से 193 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं उक्त पूर्ण हुए कार्यों में से कुल 176 कार्यों के विरूद्ध वापिसी योग्य कण्डक्टर स्क्रेप एवं स्टील आयरन स्क्रेप क्षेत्रीय भण्डार गृह को वापिस किया जा चुका है। शेष पूर्ण 3 कार्यों की सामग्री लौटाने हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं शेष पूर्ण हो चुके 14 कार्यों में निकाली गई सामग्री नगर निगम ग्वालियर के साथ विवादित होने के कारण वापस नहीं की जा सकी है। उक्त 14 कार्यों में निकाली गई सामग्री की दर निर्धारित की जाकर कण्डक्टर स्क्रेप हेतु गणना राशि रू. 3.18 लाख एवं स्टील आयरन स्क्रेप हेतु गणना राशि रू. 16.42 लाख कुल राशि रू. 19.60 लाख नगर निगम के आगामी विद्युत देयको में जोडने की कार्यवाही की जा रही है। 1 अपूर्ण कार्य रेलवे विभाग द्वारा प्रारंभ नही किया जा सका है। 5 प्रतिशत सुपरविजन योजना के कार्यों की करेंसी अवधि 2 वर्ष होती है अत: उक्त अपूर्ण कार्य के प्राक्कलन की करेंसी अवधि समाप्त हो चुकी है एवं प्राक्कलन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 30/09/2021	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग प्राक्कलन को निरस्त कर समिति को अवगत करेगा।

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr>
<td>(12)</td>
<td>1021</td>
<td>परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.69
(प्रश्न क्रं.1115)
दिनांक: 20/12/2019
(श्री देवीलाल धाकड़ (एडवोकेट),)</td>
<td>विगत वर्ष गांधी सागर बांध में विद्युत गृह में पानी घुसने से हुए नुकसान का आंकलन किया जाना।</td>
<td>कार्यवाही की जा रही है।</td>
<td>वर्ष 2019 में वर्षाकाल के दौरान गांधीसागर बांध, मंदसौर से छोड़ा गया अतिवर्षा एवं बाढ़ का पानी गांधी सागर जल विद्युत गृह में भर जाने के कारण उक्त विद्युत गृह में स्थापित पांचों इकाईयों का संचालन बंद हो गया था। जिसके उपरांत इकाई क्रमांक 1, 4 एवं 5 का पुनरूद्धार कर क्रमश: दिनांक 31 अक्टूबर 2020, दिनांक 12 अप्रैल 2021 एवं दिनांक 10 सितम्बर 2020 से उत्पादन शुरू किया गया। गांधीसागर जल विद्युत गृह में पानी भरने से हुए नुकसान का आंकलन निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><td>i)</td><td>इकाई क्रमांक 1, 4 एवं 5 के पुनरूद्धार से संबंधित कार्यों पर व्यय हुई राशि</td><td>:</td><td>रू. 5.84 करोड़</td></tr>
<tr><td>ii)</td><td>विद्युत गृह बंद होने के कारण माह अप्रैल 2021 तक वर्ष 2018-19 की तुलना में विद्युत उत्पादन की हानि (लगभग)</td><td>:</td><td>रू. 10.21 करोड़</td></tr>
<tr><td>कुल हानि</td><td>:</td><td>रू. 16.05 करोड़</td><td></td></tr>
</table>
उपरोक्त के अतिरिक्त इकाई क्रमांक 1 एवं 5 के आर.एल.ए. कार्य में 1.32 करोड़ की राशि व्यय हुई है।उल्लेखनीय है कि गांधीसागर जल विद्युत गृह की पॉचों इकाईयों की आयु 60 वर्ष से अधिक है एवं उक्त सभी इकाईयां अपनी रूपांकन आयु पूर्ण कर चुकी हैं, अत: इन सभी इकाईयों का नवीनीकरण कार्य कराना प्रस्तावित है। वर्तमान में इन इकाईयों में से इकाई क्रमांक 2 एवं 3 में वृहद नवीनीकरण कार्य योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तावित है, अत: इन इकाईयों की उत्पादन हानि एवं वृहद नवीनीकरण कार्य हेतु व्यय होने वाली राशि की कुल हानि में उत्तरोत्तर गणना उचित नहीं है।

विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :- 24/08/2021</td>
<td>विभाग द्वारा गांधीसागर विद्युत गृह में वर्षाकाल के पूर्व यथासमय पुनरूद्धार व नवीनीकरण कार्य भविष्य में पूर्ण कर हानि से बचने के यथोचित उपाय किए जाए, इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त। कोई टिप्पणी नहीं।</td>
</tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(13)	1022	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.1337) दिनांक: 20/12/2019 (डॉ. अशोक मर्सकोले,)	जिला मण्डला में सौभाग्य योजनान्तर्गत किए गए विद्युतीकरण के कार्यों की पूर्णता/कार्यों में अनियमितता की जांच किया जाना।	वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत मण्डला जिले हेतु सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच कार्यवाही से संबंधित है। मंडला जिले में सौभाग्य योजनान्तर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यों एवं नये कनेक्शनों की जांच का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मंडला जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत किये गये विद्युतीकरण कार्यों में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कुल 18 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। उक्त 18 विभागीय जांचों में से 17 विभागीय जांचों में विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होकर जांच प्रतिवेदन/निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है। 01 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा श्री टी.के. मिश्रा अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध नए सिरे से आरोप पत्र दिनांक 16/12/2021 जारी किया गया है। कुल 17 में से 08 प्रकरणों में अंतिम दण्डादेश पारित किया जा चुका है, शेष 09 में से 05 प्रकरणों में अंतिम दण्डादेश/दीर्घशस्ति अधिरोपित करने एवं ग्रेच्युटी जप्त करने के संबंध में अपचारी कार्मिकों को नोटिस जारी किये जा चुके है। 3 प्रकरणों में विभागीय जांच निष्कर्ष की प्रति संबंधित अपचारी कार्मिकों को प्रदान कर अभ्यावेदन चाहा गया है एवं 1 प्रकरण में विभागीय जांच निष्कर्ष का विश्लेषण किया जा रहा है। उक्त विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 16 अपचारी कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर की गयी है। जिसमें से 05 प्रकरणों को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, 01 प्रकरण में वसूली योग्य राशि पर आगामी आदेश तक स्थगन प्रदान किया गया है एवं 09 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आरोप पत्रों के विरूद्ध आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है तथा 01 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 27/01/2022	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(14)	**1023**	अतारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.202) दिनांक: 20/12/2019 (श्री आशीष गोविंद शर्मा)	विधान सभा क्षेत्र खातेगांव अंतर्गत ग्रामों मवासिया, नबलगांव, खेड़ी, मुहादा, विक्रमपुर एवं औंकारा सहित प्रदेश के मजरे/टोले जिन्हें कृषि फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, उनको 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने हेतु प्राक्कलन तैयार किया जाना ।	सर्वे एवं प्राक्कलन तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है ।	कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किये गये फीडर विभक्तिकरण के कार्यों के तहत डाले गऐ कृषि फीडरों से देवास जिले में विधानसभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत आश्वासन में उल्लेखित ग्रामों से लगे हुए खेतों में निवासरत उपभोक्ताओं को संबद्ध कर प्रतिदिन औसतन 10 घन्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में किये गये सर्वे में यह पाया गया है कि खेतों में दूर-दूर बने आवासों में निवासरत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने हेतु आवश्यक विद्युत अधोसंरचना का निर्माण तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से साध्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि सौभाग्य योजना के प्रावधानों के अनुसार खेतों में बने आवासों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रावधान नहीं था। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 25/06/2020	विशेषकर कृषि उपभोक्ताओं के हित में अधिकाधिक विद्युत प्रदाय समयावृद्धि की जाए, इस अपेक्षा के साथ प्रकरण निराकृत ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(15)	1024	अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.575) दिनांक: 20/12/2019 (श्री सुभाष राम चरित्र,)	जिला सिंगरौली के देवसर विधान सभा में सौभाग्य योजनान्तर्गत हुए कार्यों की सत्यापन जांच के आधार पर जवाबदारी तय कर कार्यवाही की जाना।	जवाबदारी निर्धारित की जावेगी।	देवसर विधानसभा क्षेत्र सहित सिंगरौली जिले में सौभाग्य योजना अंतर्गत क्रियान्वित विद्युतीकरण के कार्यों की सत्यापन जांच के लिए गठित जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कुल 4 कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। विभागीय जांच में कुल 60 गवाहों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कार्य किया जाना है। जिनमें से 48 गवाहों के परीक्षण एवं 10 गवाहों के पूर्ण प्रतिपरीक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 1 अपचारी कार्मिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है जोक़ि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्तानुसार विभागीय जांच कार्यवाही में नियमानुसार समस्त कार्यवाही करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाना है, ताकि जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की प्रक्रियागत चूक होने की संभावना न रहे। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 25/01/2022	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
(16)	1025	अतारांकित प्रश्न सं.86 (प्रश्न क्रं.1375) दिनांक: 20/12/2019 (श्री भूपेन्द्र सिंह,)	सागर संभाग में आयोजित मेला प्रदर्शनी हेतु दिए अस्थाई विद्युत कनेक्शनों पर बकाया राशि की वसूली की जाना।	वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।	सागर संभाग में आयोजित मेला/प्रदर्शनी हेतु प्रश्नाधीन अवधि में दिये गए कुल 266 अस्थाई विद्युत कनेक्शनों में से 35 उपभोक्ताओं पर कुल बकाया राशि रू. 5.39 लाख वसूली हेतु शेष थी, जिसमें से 23 उपभोक्ताओं से रू. 4.71 लाख बकाया राशि वसूल की जा चुकी है तथा शेष 12 उपभोक्ताओं से रू. 0.68 लाख की बकाया राशि वसूलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 22/06/2020 Query : शेष 12 उपभोक्ताओं से राशि वसूली की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 30/06/2020) **अद्यतन जानकारी:-** सागर संभाग में आयोजित मेला/प्रदर्शनी हेतु प्रश्नाधीन अवधि में दिये गए कुल 266 अस्थाई विद्युत कनेक्शनों में से शेष 12 उपभोक्ताओं से रू. 0.68 लाख की बकाया राशि सहित सभी 35 उपभोक्ताओं से कुल बकाया राशि रूपये 5.39 लाख दिनांक 27.6.2020 की स्थिति में वसूल की जा चुकी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 31/08/2020	समाधानकारक जानकारी है, कोई टिप्पणी नही.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(17)	**1026**	अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.1473) दिनांक: 20/12/2019 (श्री कुँवरजी कोठार,)	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शेष 142 उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर विद्युत मीटर लगाया जाना।	कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में शेष 142 उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर दिनांक 31.12.2019 तक विद्युत मीटर लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया गया है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 20/05/2020	कार्य पूर्ण है, कोई टिप्पणी नही.
(18)	**1027**	अतारांकित प्रश्न सं.125 (प्रश्न क्रं.1705) दिनांक: 20/12/2019 (श्री बाबू जन्डेल,)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेवाड़ा एवं ग्राम बोरदादेव में 33/11 के.व्ही. विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण किया जाना।	कार्य प्रस्तावित है।	श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मेवाड़ा एवं ग्राम बोरदादेव में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य तकनीकी मापदण्डों में साध्य पाये जाने पर प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना वर्ष 2020-21 में सम्मिलित किये गये हैं, जिनका क्रियान्वयन फण्ड की सीमित उपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका है। वर्तमान में बोरदादेव के समीप विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र मकरावदा में एक अतिरिक्त 3.15 एम.व्ही.ए. पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है जिससे उक्त क्षेत्र में सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, इसी प्रकार मेवाड़ा क्षेत्र के समीप विद्यमान 5 एम.व्ही.ए. क्षमता के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र जैनी पर 5 एम.व्ही.ए. क्षमता के 3 पावर ट्रांसफार्मर स्थापित है तथा 2 नं. कैपिसिटर बैंक भी लगाए गए है जिससे मेवाड़ा क्षेत्र में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 13/10/2020	संतोषजनक जानकारी है, कोई टिप्पणी नही.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(5) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(19)	927	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1295) दिनांक: 18/12/2019 (श्री गोपाल भार्गव,)	प्रदेश में 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक उद्योगों के निवेश में व्यय की गई राशि तथा इंदौर जिले में अक्टूबर 2019 में मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश के आयोजन में व्यय की गई राशि की जानकारी दी जाना।	(1) फिर भी इस यात्रा में कितना व्यय हुआ मैं इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। (2) उनकी ऑडिट के पूरे खर्चे की रिपोर्ट तो वह भी रख देंगे।	(1) जनवरी 2019 में माननीय मुख्यमंत्री के प्रदेश के अधिकारियों के साथ की गई दावोस यात्रा के संबंध में जानकारी चाही गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री की जनवरी 2019 में हुई दावोस यात्रा में राशि रू. 1,20,52,604.00 का व्यय हुआ है। (2) अक्टूबर-2019 में मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश के आयोजन में हुये व्यय के संबंध में जानकारी चाही गई थी। किन्तु तत्समय तक नेशनल पार्टनर-सी.आई.आई. द्वारा लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 में हुये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। नेशनल पार्टनर-सी.आई.आई. द्वारा मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 के आयोजन में हुये व्यय के संबंध में लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार आयोजन में कुल राशि रू. 18,72,25,011.00 का व्यय हुआ है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 04/07/2020	कोई टिप्पणी नहीं.
(20)	928	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.118 (प्रश्न क्रं.1279) दिनांक: 18/12/2019 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप,)	17 नवम्बर, 2018 को भू-रूपांतरित हुई रतलाम अल्कोहल प्लांट लगुन की जमीन पर नये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाना।	(1) कार्य योजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) राशि की उपलब्धता के लिए कार्यवाही की जावेगी।	रतलाम अल्कोहल प्लांट की भूमि पर इच्छुक निवेशकों से रूचि जानने के लिए Expression of Interest (EOI) दिनांक 27/11/2020 को आमंत्रण किया गया है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-**18/12/2020 Query : प्रकरण में दिये गये आश्वासन के बिन्दु क्रमांक (1) एवं (2) के अनुरूप विभागीय कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 21/01/2021)	कोई टिप्पणी नहीं.

					अद्यतन जानकारी :- प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के पूर्व निवेशकों की रूचि जानने के लिये दिनांक 27/11/2020 को EOI जारी की गई थी। निर्धारित दिनांक 26/01/2021 तक 97 निवेशकों द्वारा रूचि दर्शायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु परियोजना की स्वीकृति प्रचलन में है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 12/02/2021 Query : प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु विभागीय कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 03/03/2021) **अद्यतन जानकारी:-** औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। औद्योगिक पार्क की ऑनलाईन बुकिंग प्रारंभ की जा चुकी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/07/2021 Query : प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु निर्माण कार्य स्वीकृति की अद्यतन जानकारी । (**Date :** 05/08/2021) **अद्यतन जानकारी:-** रतलाम अल्कोहल प्लांट लगून की 19.84 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक पार्क के लिये अधोसंरचना विकसित किये जाने हेतु राशि 19.50 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 21/01/2022	

दिसम्बर, 2019 सत्र

(6) खेल और युवा कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(21)	1054	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.3672) दिनांक: 25/07/2019 (श्री रामकिशोर कावरे,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 18/12/2019	बालाघाट जिले के ग्राम परसवाड़ा में अपूर्ण खेल परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना।	(1) निर्माण कार्य प्रगतिरत् है। (2) स्टेडियम निर्माण कार्य प्रगतिरत् है।	परसवाड़ा में खेल परिसर निर्माण हेतु संचालनालयीन आदेश क्रमांक 3405 दिनांक 11/07/2013 द्वारा राशि रू. 85.00 लाख प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। जिसके विरूद्ध राशि रू. 65.00 लाख निर्माण एजेंसी द्वारा व्यय किये जा चुके है, जिसके विरूद्ध 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त निर्माण कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 09/09/2020	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग शेष निर्माण कार्य पूर्ण कर समिति को अवगत कराये।
(22)	1055	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.110 (प्रश्न क्रं.2911) दिनांक: 18/07/2019 (श्री रामकिशोर कावरे,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 18/12/2019	जिला बालाघाट के विधान सभा क्षेत्र परसवाड़ा में विभाग द्वारा स्कूलों के लिए किये गये कार्यों की जानकारी दी जाना।	कार्य प्रगतिरत् है।	प्रकरण का परिक्षण किया गया वर्ष 2016 से अब तक पंचायतवार स्कूलवार बालाघाट जिले में विभाग द्वारा व्यायाम सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई तथा परसवाड़ा में खेल परिसर निर्माण हेतु संचालनालयीन आदेश क्रमांक 3405 दिनांक 11.07.2013 द्वारा राशि रू 85.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई जिसके विरूद्ध राशि रू 65.00 लाख निर्माण एजेंसी द्वारा व्यय किये जा चुके है, जिसके विरूद्ध 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है उक्त निर्माण कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 10/09/2020	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग शेष निर्माण कार्य पूर्ण कर समिति को अवगत कराये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(23)	1056	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.3351) दिनांक: 25/07/2019 (श्री नीलांशु चतुर्वेदी,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 18/12/2019	सतना जिले के सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम में हुई किशोर की मृत्यु प्रकरण की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	पुलिस अधीक्षक सतना से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार-''दिनांक 24/05/2019 को अभिषेक नारंग की स्वीमिंग पूल में हुई मृत्यु पर थाना कोतवाली सतना में मर्ग क्रमांक 26/2019 धारा 174 जा.फौ. पंजीबद्ध कर जांच की गई। संपूर्ण जांच में मृतक की मृत्यु स्वीमिंग पूल में तैरते समय अधिक गइराई वाले जोन में चले जाने से पानी में डूबने के कारण स्वासावरोध से होना पाई गई है। मृतक अभिषेक नारंग की मृत्यु के संबंध में किसी भी संज्ञेय अपराध का घटित होना संपूर्ण जांच में नहीं पाया गया है। न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर जिला सतना म.प्र. के आदेश क्रमांक ब196/अनु.दण्डानगर/19 दिनांक 30/11/2019 द्वारा भी प्रकरण में किसी संज्ञेय अपराध का होना नहीं पाये जाने पर मर्ग नस्तीबद्ध कर दिया गया है। वर्तमान में इस प्रकरण में कोई भी जांच लंबित नहीं है तथा विधि अनुरूप कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 09/12/2020	जनधन हानि रोकने हेतु भविष्य में दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे उपर्युक्त सुधारात्मक और कदम उठाए जाएं इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त। कोई टिप्पणी नहीं।
(24)	1057	अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.2557) दिनांक: 18/07/2019 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 18/12/2019	पिपलौदा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण फिलहाल पिपलोदा में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक:-** 09/09/2020	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(7) जनसंपर्क विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(25)	**929**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्र.509) दिनांक: 18/12/2019 (श्री दिनेश राय मुनमुन,)	सिवनी जिले से प्रकाशित होने वाले अखबारों की प्रचार संख्या की जांच कर कार्यवाही किया जाना।	जांच प्रतिवेदन आना शेष है।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, (अ) प्रतिवेदन में समाचार पत्रों द्वारा दर्शाई गई प्रसार संख्या और जाँच समिति के द्वारा दिए गये प्रतिवेदन में बड़ा अंतर होने के कारण माह सितम्बर 2020 से इन समाचार पत्रों के विज्ञापन रोक दिए गये हैं। (ब) महानिदेशक दृश्य एवं प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) नई दिल्ली को समाचार पत्रों की दर पुनरीक्षित करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 24/12/2020	कोई टिप्पणी नहीं.
(26)	**1064**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.117 (प्रश्न क्र.3911) दिनांक: 23/07/2019 (श्री हरिशंकर खटीक,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 18/12/2019	प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारों को सुरक्षा, बुजुर्ग पेंशन एवं सम्मान निधि आदि सुविधाएं प्रदाय की जाना।	(1) पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (2) वृद्धि की प्रक्रिया प्रचलन में है।	1.1. प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदेश मे पत्रकार संरक्षण/सुरक्षा एक्ट लागू करने की घोषणा की गयी थी। 1.2- प्रदेश के अन्य नागरिको की तरह प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के भी विधान हैं। 1.3 इससे पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित है। इसलिए पृथक से कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। प्रदेश में पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिये पत्रकार स्वास्थ्य एवं, दुर्घटना बीमा योजना लागू है। इसके अन्तर्गत 2 एवं 4 लाख रूपये का नि:शुल्क ईलाज तथा दुर्घटना में दुर्घटना मे मृत्यु होने पर क्रमश 5 और 10 लाख रूपये की दावा राशि प्रदान की जाती हैं। साथ ही इस योजनातर्गत बीमा प्रीमियम की 75 से 85 प्रतिशत तक राशि शासन द्वारा वहन की जाती है। इसके अलावा विगत तीन वर्षों से बढ़ी हुई प्रीमियम राशि का भुगतान भी शासन द्वारा ही किया गया है। इतना ही नही उनके आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि 4.00 लाख रूपये के सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता राशि, वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को सम्मान निधि, प्रेस पूल अंतर्गत पत्रकारों को आवास आवंटन तथा आवास ऋण पर व्याज अनुदान आदि योजनाएं पूर्व से ही संचालित है। 1.5-वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को सम्मान निधि स्वरूप प्रतिमाह रूपये 7000/- की राशि पूर्व में प्रदान की जाती थी जिसको बढाकर गतवर्ष रूपये 10000/- प्रतिमाह किया जा चुका है। इसलिए वर्तमान मे उपरोक्त के संबध में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 14/01/2022	विभागीय जानकारी के परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र
(8) परिवहन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(27)	986	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.256) दिनांक: 19/12/2019 (श्री प्रदीप पटेल,)	रीवा जिले के हनुमना बेरियर परिवहन चेक पोस्टों पर अवैध वसूली रोकी जाना।	अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।	**(क)** आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं डी.आई.जी. लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 17-11-2021 को जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है। **(ख)** परिवहन आयुक्त द्वारा रीवा जिले के हनुमना बैरियर पर अवैध वसूली के संबंध में जाँच की गई। उल्लेखित जाँच में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 09/12/2021	कोई टिप्पणी नहीं.
(28)	987	अतारांकित प्रश्न सं.74 (प्रश्न क्रं.1199) दिनांक: 19/12/2019 (श्री विश्वास सारंग,)	भोपाल के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को नवीन भवन में स्थानांतरित किया जाना।	02 माह में कार्यालय शिफ्टिंग की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी।	कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल के पत्र क्रमांक 4654/वि.स./क्षे.प.अ./2022 भोपाल दिनांक 29/08/2022 द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का कार्य नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्राम कोकता ट्रांसपोर्ट नगर, भोपाल में दिनांक 18/04/2022 से प्रारंभ किया जा चुका है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 01/09/2022	आश्वासन की पूर्ति हो गई है, कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र
(9) राजस्व विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(29)	991	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1242) दिनांक: 19/12/2019 (श्री राजेन्द्र शुक्ल,)	रीवा जिलान्तर्गत खरीफ फसल में हुए नुकसान की जांच कराया जाना।	(1) हम फिर से इसमें जांच कराने के लिये तैयार है। (2) जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस शंका का समाधान कर देंगे।	विधानसभा आश्वासन क्रमांक.991 के परिप्रेक्ष्य में, रीवा जिले में पुन: जांच करायी गयी। क्षति 25 % से कम होने से राहत राशि स्वीकृत नहीं की गई। अत: आश्वासन पूर्ण हो गया है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 07/07/2020	कोई टिप्पणी नहीं.
(30)	992	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.142) दिनांक: 19/12/2019 (श्री देवेन्द्र वर्मा,)	(1) खण्डवा जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराया जाना। (2) अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा किसानों को वितरित किया जाना।	(1) **माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश :-** (i)मंत्री जी उन सभी जगह का दोबारा सर्वे करवाइए। (ii) विधायक जी को बुलाकर जो प्रश्न है, उसका समाधान कर दीजिए। (2) **माननीय मंत्री :-** इसकी कार्यवाही प्रचलित है और शीघ्रातिशीघ्र यह वितरण किया जाएगा।	खण्डवा जिले में अतिवर्षा से फसलों में क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में राहत राशि वितरण की कार्यवाही की गयी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 16/06/2022	कोई टिप्पणी नहीं.
(31)	993	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.1126) दिनांक: 19/12/2019 (श्री हरदीपसिंह डंग,)	मंदसौर जिले के विधान सभा क्षेत्र सुवासरा के ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाना।	जिनका परीक्षण कर आगामी कार्यवाही प्रचलित है।	मंदसौर जिले की विधानसभा क्षेत्र सुवासरा के 7 मजरा टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये है, किन्तु वर्तमान में भारत सरकार महारजिस्ट्रॉर एवं जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 9/33/2019-सीडी(सेन), दिनांक 06.09.2019 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 15-01/2019/2-ए(3), दिनांक 01.06.2020 द्वारा 31 मार्च, 2021 तक प्रशासनिक इकाईयों यथा जिले, अनुविभाग, तहसील, राजस्व ग्राम, वन ग्राम, नगरीय आदि की सीमाओं में परिवर्तन निषिद्ध किया गया है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 06/07/2020	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(32)	994	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.56) दिनांक: 19/12/2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया,)	मंदसौर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा वितरित किया जाना।	(1) शेष राहत राशि भुगतान बजट में राशि प्राप्त होने पर की जावेगी। (2) स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।	मंदसौर जिले में अतिवर्षा से फसलों में क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में राहत राशि वितरण की कार्यवाही की गयी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 16/06/2022	कोई टिप्पणी नहीं.
(33)	995	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.65) दिनांक: 19/12/2019 (श्री रामपाल सिंह,)	रायसेन जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुए नुकसान की राहत राशि का भुगतान किया जाना।	10 आवेदनों में भुगतान प्रचलित है।	रायसेन जिले में 10 आवेदनों में प्रचलित भुगतान पूर्णरूप से संबंधित को किया जा चुका है। अब कोई भुगतान शेष नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 07/07/2020	आश्वासन की पूर्ति हो गई है, कोई टिप्पणी नहीं.
(34)	996	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.128) दिनांक: 19/12/2019 (श्री बिसाहूलाल सिंह,)	जिला अनूपुर के कोतमा में एस.ई.सी.एल. नीति 2008 पैकेज डील अंतर्गत खुली खदान परियोजना से प्रभावित भू-स्वामियों को प्रदान की गई नियुक्ति की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही की जावेगी।	एसईसीएल से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 31.07.2020 तक परियोजना से प्रभावित 2039 कृषकों को कुल 23,23,60,888 रूपये क्षतिपूर्ति राशि वितरण किया जा चुका है शेष 591 कृषकों को वितरण की कार्यवाही की जा रही है। कुल अधिग्रहित भूमि के एवज में प्रभावित परिवारों के 598 सदस्यों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक:- 28/09/2021 Query : प्रकरण में शेष कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 09/12/2021) **अद्यतन जानकारी :-** कलेक्टर अनूपपुर से अद्यतन जानकारी प्राप्त की गयी जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इस संबंध में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 7968/2009, 11456/2009, 4570/2016, 11456/2009 में पारित आदेश के प्रकाश में एस ई सीएल द्वारा प्रदत्त 506 नियुक्ति का परिक्षण कर, 203 व्यक्तिओं को नियुक्ति हेतु अपात्र पाया। इनमें से 84 को नियुक्ति से पृथक किया गया जबकि शेष 119 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश होने से कार्यवाही स्थगित है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 12/01/2022	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग से अपेक्षा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(35)	997	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्र.193) दिनांक: 19/12/2019 (श्री संजय शर्मा,)	(1 नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में भू-स्वामियों को उनके हक की भूमि आवंटन की जाना। (2) भू-माफियों से भूमि मुक्त कराया जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलित है। (2) कार्यवाही प्रचलित है।	ग्राम खामघाट की शासकीय भूमि के अवैध विक्रय के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी रा. गाडरवारा द्वारा प्रेषित 10 प्रकरणों में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 संशोधन अधिनियम 2018 में वर्णित धारा 182 के तहत पटटा निरस्त किये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही के लिए न्यायालय अपर कलेक्टर को अंतरित किये प्रकरणों में बेदखली आदेश जारी किये जा चुके है व् नायब तहसीलदार गाडरवारा (रा.नि. मण्डल सिहोरा – बोहानी) से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अनावेदको से कब्ज़ा रिक्त कराया जा चुका है एवं शासकीय भूमि ग्राम कोटवार के सुपुर्द कर दी गयी है। (2) कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित ग्राम खामघाट के 08 प्रकरणों में कार्यवाही कर भूमि म.प्र.शासन के नाम दर्ज कर दी गयी है। नायब तहसीलदार गाडरवारा (रा.नि. मण्डल सिहोरा – बोहानी) से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार बेदखली आदेश जारी किये जा चुके है व् अनावेदको से कब्ज़ा रिक्त कराया जा चुका है एवं शासकीय भूमि ग्राम कोटवार के सुपुर्द कर दी गयी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 04/02/2021	कोई टिप्पणी नहीं.
(36)	998	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्र.197) दिनांक: 19/12/2019 (श्री आशीष गोविंद शर्मा,)	देवास जिले की खातेगांव तहसील में हायर सेकेंडरी स्कूल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराई जाना।	कार्य प्रचलित है।	तहसील खातेगांव की ग्राम पंचायत विक्रमपुर में हायरसेकण्डरी स्कूल ग्राम पंचायत हरणगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जाकर निर्माण कार्य प्रचलित है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 06/07/2020	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग निर्माण कार्य पूर्ण कर समिति को अवगत कराये।
(37)	999	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.35 (प्रश्न क्र.428) दिनांक: 19/12/2019 (श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय,)	दमोह जिले के हटा विधान सभा क्षेत्र गोचर भूमि पर हटा एवं पटेरा तहसील आने वाले ग्रामों में अतिक्रमण हटाया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	हटा तहसील के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर करने का लेख किया गया है तथा फसल कटनी उपरांत अप्रैल 2020 मे अतिक्रामक मुक्त हो गए थे। पटेरा तहसील के अंतर्गत गौचर भूमि का कुल रकबा 4912.73 हे0 है उक्त भूमि मे से 1325.92 हे0 भूमि पर 128 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है। 128 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 248(1) के अंतर्गत न्यायालय मे राजस्व प्रकरण संस्थित किए जाकर इनके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी 257500/- रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर अर्थदण्ड की वसूली की गयी है एवं बेदखली की कार्यवाही की गयी। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 23/10/2020	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(38)	**1000**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.441) दिनांक: 19/12/2019 (डॉ. सीतासरन शर्मा,)	होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर के जीन मोहल्ला के भूखण्डों का नवीनीकरण किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	नजूल शहर इटारसी शीट नं 3 एवं शीट नं 6 जो जीन मोहल्ले के नाम से जाना जाता है ,इस शीट का बहुत बडा रकबा 3,07,810 वर्गफुट भूमि पट्टेदार एच ए राजा आ अब्बास अली के नाम दर्ज है जिसकी अवधि वर्ष 1988 को समाप्त हो चुकी है। पट्टेदार एच ए राजा का निधन हो जाने से उनके वारसान शब्बीर अली एवं अब्बास अली सैफी द्वारा नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया है ,जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रचलन में है। वारसानों द्वारा पट्टों का नामांतरण एवं नवीनीकरण कराये बिना छोटे छोटे भूखण्ड 118 व्यक्तियों को विक्रय कर दिए गए थे ,शिकायत के आधार पर उक्त 118 व्यक्तियों का विक्रय के आधार पर किये गये नामांतरण आदेश निरस्त किये गये तथा पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की गई ,पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने पर सभी 118 व्यक्तियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये। उक्त कारण बताओं नोटिस से व्यथित होकर अधिकांश व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन दायर की गई है। उक्त रिट पिटीशन क्रमांक 16010/2011 के पारित निर्णय दिनांक 22.09.11 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा तत्संबंध में की जा रहीं कार्यवाही पर स्थगन दिया गया है इस कारण संबंधित प्रकरणों में पुनर्विलोकन की कार्यवाही नहीं हो पाई है। संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई दिनांक 20.04.20 को नियत थी। अत: प्रकरण का निराकरण मान. न्यायालय के आदेश अनुसार संभव होगा। अतएव न्यायालयीन प्रकरण होने से आश्वासन विलोपित करने का अनुरोध है। (प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित) DS Officer Name: Anup Munda |10.131.58.19 | 07/08/2020 02:48:34 PM Query : प्रकरण में मान0 न्यायालय के सुनवाई/निर्णय उपरांत की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। (Date : 01/10/2020 03:24:47 PM) विधानसभा आश्वासन क्रमांक 1000 के संबंध में अनुरोध है कि रिट पिटीशन क्रमांक 16010/2011 में शासन की ओर से दिनांक 23/02/2021 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित होने से निराकरण हेतु समय – सीमा निर्धारण करने में कठिनाई है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 24/01/2022	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(39)	**1001**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.1197) दिनांक: 19/12/2019 (श्री विश्वास सारंग,)	म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धाराओं के विपरित शासकीय भूमि का आवंटन किया जाना।	कार्यवाही की जा सकेगी।	मौजा बेला तहसील रघुराजनगर आराजी क्रमांक 49 रकवा 112.08 एकड मे से 83 एकड 49/1 निर्धारित किया जाकर पूर्व में किया गया बंटन न्यायालय कलेक्टर सतना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0अ19/85,86 में पारित आदेश दिनांक18.07.2006 के द्वारा (अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर की राजस्व प्रकरण क्रमाक 372/1971-72 में पारित आदेश दिनांक 26.08.1972 को कई बंटितियों को किया गया बंटन) निरस्त किया गया। जिसकी निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में की गई थी जिसे प्रकरण क्रमांक 571/निगरानी/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2010 द्वारा निरस्त किया गया था। तद्वोपरांत आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार न होने के कारण वापिस कर दी गई थी। उपरोक्त आदेशो के विरूद्ध कुछ आवेदक गण(बंटिती)द्वारा न्यायालय राजस्व राज्य मंत्री म0प्र0 शासन भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी,जिसमें न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 372/1971-72 में पारित आदेश दिनांक 26.08.1972 के द्वारा प्रदाय किये गये पट्टों में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण पट्टे बहाल किये जाने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के पालन में निगरानीकर्ताओं के नाम से पुनः पूर्वानुसार यथावत किया गया था। वर्तमान की स्थिति में उक्त आराजी कई बंटाको में स्थापित हैं मौजा बेला की आराजी नं0-49 के साथ आराजी नं 51 एवं 140 के संबंध में भी जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन मामला क्रमांक 0017/अ70/2019-20 में प्रतिवेदन दिनांक 05.08.2020 के माध्यम से मूलतः अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर राजस्व को प्रेषित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों अंतर्गत प्रचलित है। **विभागीय पत्र ऑनलाईन प्राप्त दिनांक :-** 04/09/2020 Query : प्रकरण में प्रचलित विभागीय कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। (Date : 01/10/2020) वर्तमान की स्थिति में जिला सतना तहसील रघुराजनगर के ग्राम बेला के आराजी नं 49, 59,140 के सबंध मे जॉच की जा चुकी है तथा न्यायालय कलेक्टर सतना के राजस्व प्रकरण क्र/ 0093/ स्वमेव निगरानी /2020-21 मे पारित आदेश 13/12/2020 के द्वारा उक्त आराजीयों पर खसरे का कालम नं 12 मे अहस्तांतरणीय दर्ज कराने का आदेश किया जा चुका है, जिसके	कोई टिप्पणी नहीं.

					क्रम मे तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा प्रकरण क्र 914/ अ-74/2020-21 आदेश दिनांक 10/12/2020 द्वारा खसरे के कालम नं 12 मे अहस्तांतरणीय दर्ज किया जा चुका है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 03/11/2021	
(40)	**1002**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.153 (प्रश्न क्रं.1635) दिनांक: 19/12/2019 (श्री प्रताप ग्रेवाल,)	(1) उज्जैन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को विक्रय करने संबंधी जांच कराई जाना। (2) प्रकरण में अनियमितता करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाना।	(1) जांच प्रचलित है। (2) शासन स्तर से प्रचलित है।	रतलाम जिले के अंतर्गत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को विक्रय करने के संबंध में 55 प्रकरणों में अनियमितता पाई जाने पर प्रकरणों को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर आयुक्त न्यायालय उज्जैन संभाग में प्रचलित है। अनियमितता पाई जाने पर तत्कालीन अधिकारी अपर कलेक्टर, श्री कैलाश बुन्देला को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरोप पत्र आदि जारी किए जा चुके हैं। विभागीय जांच की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग स्तर पर प्रचलित है। **विभागीय पत्र ऑनलाईन दिनांक :-** 14/08/2020 Query : प्रकरण में जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 01/10/2020) **<u>अद्यतन जानकारी:-</u>** रतलाम जिले में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि बिक्री के प्रकरणों को न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर जांच की गई जिनमें 31 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इन प्रकरणों में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही की जाती है जो वर्तमान प्रकरणों में की गई। प्रकरण न्यायालय से संबंधित है। **विभागीय पत्र ऑनलाईन प्राप्त दिनांक :-** 30/11/2021 Query : 55 प्रकरणों में से 31 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 24 प्रकरणों के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 16/12/2021) **<u>अद्यतन जानकारी:-</u>** रतलाम जिले में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में भूमि बिक्री के प्रकरणों में से शेष प्रकरणों के संबंध में न्यायालय आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग के न्यायालय में विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सुनवाई प्रचलित है। शेष प्रकरणों के न्यायालय में प्रचलित होने से निराकरण की समयसीमा निर्धारित करने में कठिनाई है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 20/01/2022	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग न्यायालयीन निर्णयानुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(41)	**1003**	अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.17) दिनांक: 19/12/2019 (श्री सुशील कुमार तिवारी,)	पनागर तहसील के सीमांकन प्रकरण में लापरवाही करने वाले दोषियों के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रचलित है।	जिले की तहसील पनागर के सीमांकन प्रकरणों में लापरवाही करने वाले दोषी कर्मचारी श्री सुन्दरलाल वर्मा राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही कर असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृध्दि रोकने की शास्ति से दंडित किया गया है साथ ही पनागर तहसील से अन्यत्र स्थानांतरित किया जा चुका है। तत्कालीन समय में लंबित सीमांकन के 79 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 05/08/2020	कोई टिप्पणी नहीं.
(42)	**1004**	अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.74) दिनांक: 19/12/2019 (श्री रामपाल सिंह,)	रायसेन जिले के किसानों से अर्जित की गई भूमि की मुआवजे राशि का भुगतान किया जाना।	भुगतान निरंतर प्रचलित है।	मूल प्रश्न क्रमांक-74 में किसी विशेष प्रकरण में भुगतान की कार्यवाही लंबित होने का लेख नहीं था। रायसेन जिले की 5 तहसीलों में विभिन्न प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही यथा अवश्यक्ता भू-अर्जन अधिनियम, 2013/ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1959 के प्रावधानों अंतर्गत की जाती है जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र ऑनलाईन प्राप्त दिनांक :-** 06/07/2020 Query : आश्वासन अनुरूप मुआवजे राशि के प्रचलित भुगतान संबंधी की गई विभागीय कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 28/08/2020) **अद्यतन जानकारी :-** मुआवजा राशि का भुगतान निरंतर प्रचलित है। की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति जिले के अनुभाग रायसेन अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-86 में अर्जित की गई भूमि में से कुल 03 किसानों को राशि रूपये 8,19,607 /- का भुगतान किया जाना लंबित है,जो 02 कृषकों द्वारा संयुक्त बैंक खाता न खुलवाये जाने एवं 01 कृषक के फौत हो जाने तथा वारिसान द्वारा राशि लेने से इंकार करने के कारण लंबित है।अनुभाग गौहरगंज में जल संसाधन विभाग के जलाशय निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि में से 01 किसान साजिदा सुल्तान बेगम पुत्री नबाबहमीद उल्ला खां के नाम से राशि रूपये 5,60,89,519/- का भुगतान वरिष्ट न्यायालयों में स्वत्वनिर्धारण के प्रकरण विचाराधीन होने के कारण तथा लंबित है तथा अन्य कृषकों का स्वतव संबंधित विवाद न्यायालयों में विचाराधीन होने से राशि रूपयें 5,52,951/- कुल राशि रूपये 5,66,42,470 /- का मुआवजा भुगतान लंबित राशि में से राशि	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

					रूपये 96,00,000 /- भूमि पर स्थित शासकीय परिसम्पतियों का है, जो लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत विभाग एवं वन विभाग से संबंधित है। राशि रूपये 33,00,000 /- का भुगतान मंदिर ,मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों को है, जो कि समिति गठित न होने के कारण भुगतान से लंबित है। अनुभाग बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के भू-अर्जन प्रकरणों में कुल 1960 कृषकों में से 1773 कृषकों को मुआवजा राशि रूपये 45,02,99,775/- का भुगतान हो चुका है । शेष 187 कृषकों का मुआवजा राशि रूपये 2,07,30,359/- का भुगतान विभिन्न कारणों यथा प्रकरण आर्विटेशन में मा. न्यायालय कमिश्नर, भोपाल संभाग भोपाल तथा मा. अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालयों में विचाराधीन होने से तथा स्वत्व संबंधी विवाद के कारण लंबित हैं। अनुभाग बेगमगंज में जल संसाधन विभाग के जलाशय एवं नहर निर्माण तथा सेतु निर्माण निगम के पुल निर्माण संबंधी कुल 18 प्रकरणों में मुआवजा राशि रूपये 76,99,668/- का भुगतान विभिन्न कारणों यथा संयुक्त बैंक खाता न खोले जाने, ग्राम में निवास न करने, वरिष्ठ न्यायालयों में प्रकरणों विचाराधीन होने तथा स्वत्व विवाद के कारण लंबित है। जिले के समस्त अनुविभागों में मुआवजा राशि का भुगतान निरंतर प्रचलित है। विवादित एवं मा. न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में निराकरण उपरांत शीघ्र अति शीघ्र मुआवजा राशि का मुआवजें भुगतान की राशि स्वत्व विवाद व न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण होने क उपरांत ही संभव है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 01/04/2021	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(43)	**1006**	अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.570) दिनांक: 19/12/2019 (श्री सुभाष राम चरित्र,)	राज्य शासन के कृषि श्रमिकों को अन्य विभागों में रोजगार उपलब्ध कराया जाना।	योजना प्रचलित है।	राज्य शासन के अन्य विभागों में कृषि श्रमिकों को आवश्यकता होने पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना प्रचलित है परंतु राजस्व विभाग में इस बाबत कोई कार्ययोजना नहीं होने का ही स्पष्ट उल्लेख उत्तर में किया गया था। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 10/01/2022	कोई टिप्पणी नहीं.
(44)	**1007**	अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.1140) दिनांक: 19/12/2019 (श्री संजय शाह मकड़ाई,)	हरदा जिले में बैतूल नेशनल हाइवे हेतु जमीन का अधिग्रहण एवं मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	विषयांतर्गत कलेक्टर जिला हरदा से प्राप्त अद्यतन जानकारी अनुसार हरदा जिले में बैतूल नेशनल हाईवे हेतु 684 कृषकों को अधिग्रहित भूमि के प्रतिफल स्वरूप मुआवजा राशि रूपये 143,83,76,850/- का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 27/05/2022	आश्वासन की पूर्ति संतोषजनक है, कोई टिप्पणी नहीं.
(45)	**1008**	अतारांकित प्रश्न सं.84 (प्रश्न क्रं.1312) दिनांक: 19/12/2019 (श्री दिलीप सिंह गुर्जर,)	उज्जैन संभाग नागदा के तहसीलदार श्री सिसोदिया की विभागीय जांच के परिणाम के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही की जा सकेगी।	श्री रमेश सिसौदिया तत्कालीन तहसीलदार नागदा के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत शास्ति अधिरोपित करने हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को लिखा गया है। **विभागीय पत्र ऑनलाईन प्राप्त दिनांक :-** 05/08/2021 Query : प्रकरण में संबंधित तत्कालीन तहसीलदार के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को लिखे जाने उपरांत की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 19/08/2021) **अद्यतन जानकारी :-** आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा आदेश क्रमांक 97/दो.स्था/2019/4080 दिनांक 23/06/2021 से अपर कलेक्टर एवं जिला विभागीय जांच अधिकारी उज्जैन के जांच प्रतिवेदन दिनांक 02/06/2021 के अनुसार अधिरोपित तीनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने पर दिये निष्कर्ष के आधार पर आरोप पत्र नस्तीबध्द किये जाकर विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 17/09/2021	कोई टिप्पणी नहीं.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>(46)</td><td>1009</td><td>अतारांकित प्रश्न सं.150
(प्रश्न क्र.1643)
दिनांक: 19/12/2019
(डॉ. हिरालाल अलावा,)</td><td>रतलाम जिले के बंजली के पटवारी द्वारा की गई अनियमितता की जांच कराई जाना।</td><td>विभागीय जांच प्रचलित है।</td><td>जिला जॉच अधिकारी द्वारा जॉच की गई जिस में अपचारी कर्मचारी श्री कमलेश राठौर पटवारी के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित होना पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी सैलाना के आदेश क्रमांक 4509/रीडर/2021 दिनांक 27/10/2021 द्वारा श्री कमलेश राठौर को वेतन के समयमान के निम्नतर प्रक्रम पर लाने की दीर्घ शास्ति अधिरोपित कर दण्डित किया गया। अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।
विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-28/10/2021</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
<tr><td>(47)</td><td>1010</td><td>अतारांकित प्रश्न सं.154
(प्रश्न क्र.1656)
दिनांक: 19/12/2019
(श्री अरविंद सिंह भदौरिया,)</td><td>भिण्ड जिले की अटेर विधान सभाक्षेत्र के बंटवारा सीमांकन, नामांतरण के प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना।</td><td>लंबित प्रकरणों का निराकरण प्रचलित है।</td><td>भिण्ड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र में बंटवारा,नामांतरण एवं सीमांकन के निम्नानुसार प्रकरण (आवेदन) शेष थे:-
<table>
<tr><th>मद</th><th>11-12-2019 को शेष आवेदन</th></tr>
<tr><td>विवादित बटवारा</td><td>258</td></tr>
<tr><td>विवादित नामांतरण</td><td>1021</td></tr>
<tr><td>सीमांकन</td><td>133</td></tr>
</table>
अद्यतन जानकारी-
<table>
<tr><th>मद</th><th>माह दिसम्बर2019में शेष आवेदन</th><th>निराकरण</th><th>वर्तमान में शेष आवेदन</th></tr>
<tr><td>विवादित बंटवारा</td><td>258</td><td>208</td><td>50</td></tr>
<tr><td>विवादित नामांतरण</td><td>1021</td><td>993</td><td>28</td></tr>
<tr><td>सीमांकन</td><td>133</td><td>108</td><td>25</td></tr>
</table>
शेष प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण निराकरण से शेष हैं। न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर दिया जावेगा।
विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :- 14/08/2020</td><td>समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग न्यायालयीन निर्णयानुसार अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करे।</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(48)	**1086**	अतारांकित प्रश्न सं.165 (प्रश्न क्रं.1942) दिनांक: 23/12/2019 (श्री हर्ष विजय गेहलोत,)	प्रदेश सहित उज्जैन-इन्दौर संभाग में आदिवासी आबादी की जानकारी एवं आदिवासियों को भूमिहीन करने तथा उनकी जमीनों को गैर आदिवासियों द्वारा खरीदने की जाँच एवं कार्यवाही की जाना।	बिना अनुमति विक्रय के मामलों में जाँच सतत है। जांच उपरांत ही जानकारी दी जाना संभव होगा।	उज्जैन-इन्दौर संभाग में अनुसूचित जनजाति की भूमियों को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा क्रय किये जाने की जांच कराने पर जिलेवार निम्नानुसार स्थिति पाई गई:- उज्जैन संभाग:- आदिवासियों की जमीन का डायवर्सन करवाकर बिना अनुमति गैर आदिवासियों को बेचने संबंधी जानकारी निरंक है। इन्दौर संभाग :- खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर, बडवानी, इन्दौर, झाबुआ अलीराजपुर -आदिवासियों की जमीन का डायवर्सन करवाकर बिना अनुमति गैर आदिवासियों को बेचने संबंधी जानकारी निरंक है। धार-तहसील सरदारपुर अंतर्गत मांगीलाल पिता सकरिया जाति भील के कुल सर्वे नं 08 कुल रकबा 0.433 हेक्टैयर परिवर्तित भूमि एवं जवरीबाई बेवा नरसिंह जाति भील द्वारा गैर आदिवासियों को भूमि सर्वे नं 690/2/1/1/ख/1 रकबा 0.335 हे0 परिवर्तित भूमि में से पैकी रकबा 3.107 हे0 विक्रय किये जाने के संबंध में जांच प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर के न्यायालय में प्रचलन में है। उपरोक्तानुसार आश्वासन के संबंध में, सारवान कार्यवाही की जा चुकी है, जिसके प्रकाश में कृपया लंबित आश्वासन को विलंबित करने का अनुरोध है। **विभागीय पत्र ऑनलाईन दिनांक :-** 09/12/2021 Query : प्रकरण में धार-तहसील सरदारपुर अंतर्गत जांच प्रकरण की अद्यतन जानकारी। (**Date :** 16/12/2021) **अद्यतन जानकारी:-** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर के न्यायालय में दर्ज दोनों प्रकरण क्रमांक 002/अ-23/2019-20, 0043/बी-121/2015-16 में सुनवाई की जाकर निर्णित किये जा चुके हैं। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 12/01/2022	अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(10) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(49)	**1042**	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.525) दिनांक: 20/12/2019 (श्री विनय सक्सेना,)	म.प्र. शासन के उपक्रम एम.पी. ऑनलाईन बिना किसी निविदा के निजी कंपनी मेसर्स टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेस को हस्तांतरित किए जाने की सूक्ष्म व गंभीर जांच कराई जाना।	**माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश :-** (i) इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए । वरिष्ठ लोगों से इसकी जांच करवाइए, सूक्ष्म जांच करवाइए । इसलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। (ii) गंभीर जांच होना चाहिए। **विभागीय मंत्री का आश्वासन :-** अध्यक्ष महोदय, जैसा आपका निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा।	आश्वासन के अनुरूप जांच कराये जाने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 6-1-2020 को वित्त विभाग को लिखा गया था। वित्त विभाग द्वारा आयुक्त,कोष एवं लेखा को विशेष अंकेक्षण कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा एम.पी.ऑनलाइन का विशेष अंकेक्षण करने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की अध्यक्षता में दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग द्वारा प्रेषित टीप अनुसार मंत्रि-परिषद के निर्णय उपरांत एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड म.प्र.राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा टी.सी.एस.की संयुक्त कंपनी बनाई गई। मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुक्रम म्रें शेयर होल्डर एग्रीमेंट निष्पादित किया गया है, जिसमें टी.सी.एस की 89 % एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम की 11 % भागीदारी निर्धारित की गई थी। शासन द्वारा एमपीऑनलाइन को टी.सी.एस. को सौंपने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर कूट रचित षडयंत्र कर एम.पी.ऑनलाइन की 89 प्रतिशत भागीदारी मेसर्स टाटा कन्सल्टेन्सी को सौंपने की पुष्टि नहीं होती है। मंत्रि-परिषद आदेश के अनुमोदन उपरांत विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ.5-2/2005/56, दिनांक 07-11-2005 द्वारा इस आशय के आदेश जारी किये गये। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 13/08/2021	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(11) वित्त विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(50)	**953**	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्र.980) दिनांक: 18/12/2019 (श्री कुँवर विक्रम सिंह,)	वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त श्री अजय चौबे उप सचिव को संविदा पर नियुक्ति न दिये जाने के संबंध में।	**माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश :-** 31 दिसम्बर मेरे ख्याल से इनका आखिरी वर्ष होना चाहिए । अब इनको एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए।	श्री अजय चौबे की 65 वर्ष की आयु दिनांक 03.08.2020 को पूर्ण हो चुकी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 11/09/2020	कोई टिप्पणी नहीं.
(51)	**954**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्र.930) दिनांक: 18/12/2019 (श्री भूपेन्द्र सिंह,)	प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित निधि नियमों में संशोधन किये जाने के संबंध में।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	विधानसभा आश्वासन क्रमांक 954 के संबंध में लेख है कि निराश्रित निधि में संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 जनवरी,2020 में प्रकाशित किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक 387/2020/डीएमसी/चार,दिनांक 22.06.2020 को आपकी ओर प्रेषित किया गया है। परिशिष्ट ''स'' **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 11/09/2020	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र
(12) श्रम विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(52)	**1014**	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.153) दिनांक: 19/12/2019 (श्री दिलीप सिंह गुर्जर,)	(1) नागदा स्थित ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों को वेतन की अंतर राशि का भुगतान किया जाना । (2) ठेका श्रमिकों से शिविर के माध्यम से जानकारी ली जाना । (3) ठेका श्रमिकों को स्थायी करने की कार्यवाही की जाना ।	(1) वेतन अंतर की राशि भी दिनांक 01.01.2019 से भुगतान की जायेगी। (2) सदस्य की मंशा अनुसार हम शिविर में इसका सत्यापन करेंगे । (3) उनकी जो भी परेशानियां है, उनको हम नियमों के तहत निश्चित रूप से करेंगे ।	उक्त आश्वासनों के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः- 1. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (एस.एफ.डी.), नागदा जिला उज्जैन के 3466 ठेका श्रमिकों को दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 30.09.2019 के मध्य की अवधि में बढ़े हुये वेतन वृद्धि की एरियर राशि रूपये 2,92,48,785/- (रूपये दो करोड़ बयानवे लाख अड़तालिस हजार सात सौ पच्चासी मात्र) का भुगतान किया जा चुका है। माह अक्टूबर, 2019 से वेतन वृद्धि नियमित रूप से ठेका श्रमिकों को दी जा रही है। 2. ठेका श्रमिकों के वर्गीकरण के सत्यापन के लिये सहायक श्रमायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा नियमित रूप से उक्त संस्थान में दिनॉक 17.12.2019 से दिनॉक 06.03.2020 के मध्य शिविरों का आयोजन किया जाकर तत्समय संस्थान में कार्यरत ठेका श्रमिकों का सत्यापन किया जा चुका है। 3. ठेका श्रमिकों की जो भी परेशानियां है, उनका श्रम अधिनियमों एवं नियमों के तहत निराकरण किया जाता है। वर्तमान में ऐसी कोई शिकायत सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन में प्राप्त नहीं है। प्रकरण में आवश्यक वांछित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/12/2020	आश्वासन के अनुरूप विभागीय कार्यवाही संतोषजनक है । कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(53)	**1073**	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1061) दिनांक: 11/07/2019 (श्री बहादुर सिंह चौहान,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 18/12/2019	ग्रेसिम उद्योग नागदा जंक्शन दर्ज प्रकरण क्र. 977/1 एवं 5436/12 के फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना।	गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।	1. प्रकरण क्रमांक 977/11- (क) कारखाना अधिभोगी श्री शैलेन्द्र जैन दिनांक 21.05.2019 को माननीय सी.जे.एम. न्यायालय उज्जैन में उपस्थित होकर जमानत करवाई गई है।(ख) कारखाना प्रबंधक श्री राजीव नयन द्वारा दिनांक 27.08.2019 को माननीय सी.जे.एम. न्यायालय उज्जैन में उपस्थित होकर जमानत करवाई गई है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 14.12.2020 को नियत है। 2. प्रकरण क्रमांक 5436/12- (क) कारखाना अधिभोगी श्री शैलेन्द्र जैन दिनांक 21.05.2019 को माननीय सी.जे.एम. न्यायालय, उज्जैन में उपस्थित होकर जमानत करवाई गई है। (ख) कारखाना प्रबंधक श्री वीरेन्द्र मोहपात्रा द्वारा दिनांक10.12.2019 को माननीय सी.जे.एम. न्यायालय उज्जैन में उपस्थित होकर जमानत करवाई गई है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 14.12.2020 को नियत है। प्रकरण में आवश्यक वांछित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 28/12/2020	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(13) संस्कृति विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(54)	**1015**	तारांकित प्रश्न सं.23 (प्रश्न क्रं.1370) दिनांक: 19/12/2019 (श्री लक्ष्मण सिंह,)	गुना जिले के विधान सभा क्षेत्र चाचौड़ा स्थित ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार किया जाना।	निविदा कार्यवाही प्रचलन में है।	राज्य संरक्षित स्मारक चंपावती का किला, चाचौड़ा, तहसील चाचौड़ा जिला गुना का अनुरक्षण एवं विकास कार्य की ई-निविदा दिनांक 30.11.2019 को जारी की गई तथा न्यूनतम निविदाकर्ता से पहले अनुबंध किया गया। उसके पश्चात कार्यादेश दिनांक 27.07.2020 को जारी किया जा चुका है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 27/07/2021	विभाग द्वारा किले की आवश्यक जीर्णोद्वार कार्यवाही पूर्ण करने की अपेक्षा है. कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2019 सत्र

(14) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(55)	1165	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.1425) दिनांक: 23/12/2019 (श्री भूपेन्द्र सिंह,)	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लंबित हितग्राहियों के भुगतान हेतु वर्ष 2020-21 में समस्त जिलों को शतप्रतिशत आवंटन जारी किया गया हैं। जिलों द्वारा लंबित हितग्राहियों का शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका हैं शेष भुगतान हेतु कोई लंबित नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 23/02/2021	कोई टिप्पणी नहीं.
(56)	1166	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.119 (प्रश्न क्रं.1720) दिनांक: 23/12/2019 (श्री राम दांगोरे)	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदाय संबंधी कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लंबित हितग्राहियों के भुगतान हेतु वर्ष 2020-21 में समस्त जिलों को शतप्रतिशत आवंटन जारी किया गया हैं। जिलों द्वारा लंबित हितग्राहियों का शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका हैं शेष भुगतान हेतु कोई लंबित नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 23/02/2021	कोई टिप्पणी नहीं.
(57)	1167	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.133 (प्रश्न क्रं.1826) दिनांक: 23/12/2019 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर संभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत सामूहिक विवाह में कन्याओं के बैंक खातों में राशि का भुगतान किया जाना।	भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	सागर संभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत जिला सागर, दमोह एवं छतरपुर के शेष लंबित हितग्राहियों का शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका हैं वर्तमान में भुगतान हेतु कोई लंबित नहीं है। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 23/02/2021	कोई टिप्पणी नहीं.
(58)	1168	अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.200) दिनांक: 23/12/2019 (श्री आशीष गोविंद शर्मा)	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान न किया जाना।	भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लंबित हितग्राहियों के भुगतान हेतु वर्ष 2020-21 में समस्त जिलों को शतप्रतिशत आवंटन जारी किया गया है। कन्या विवाह/निकाह योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2019 तक जिलों द्वारा लंबित हितग्राहियों का शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका हैं। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 23/02/2021	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(59)	1169	अतारांकित प्रश्न सं.241 (प्रश्न क्रं.2104) दिनांक: 23/12/2019 (श्री गोपाल भार्गव,)	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान न किया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लंबित हितग्राहियों के भुगतान हेतु वर्ष 2020-21 में समस्त जिलों को शतप्रतिशत आवंटन जारी किया गया है। कन्या विवाह/निकाह योजनान्तर्गत माह जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक जिलों द्वारा लंबित हितग्राहियों का शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका हैं। **विभागीय ऑनलाईन जानकारी दिनांक :-** 23/02/2021	कोई टिप्पणी नहीं.

भोपाल :

दिनांक : 17.03.2025

हरिशंकर खटीक

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

आ०क्र० - 977 परिशिष्ट - "अ"

संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश

(आधार तल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: dirsthapna2ayush.mp@mp.gov.in

Office (0755) 2571187
Fax (0755) 2760225

क्रमांक/एफ88/2021/02/स्था./2640-47 भोपाल, दिनांकः 17/08/2021

// आदेश //

श्री ललित सरैया, (जिन्हें आगे से श्री सरैया पढ़ा जाएगा), आयुर्वेद कम्पाउंडर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, अजनास, जिला देवास एवं श्री अशोक कारपेंटर, (जिन्हे आगे से श्री कारपेंटर पढ़ा जाएगा) आयुर्वेद कम्पाउंडर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, करनावद, जिला देवास द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर मे प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक से नियमित किये जाने हेतु याचिका याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4044/2014 श्री ललित सैरया विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य याचिका दायर की गई है।

02/ उक्त दायर याचिका मे मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर मे निर्णय दिनांक 18.06.2014 पारित किया गया।

03/ उक्त पारित निर्णय के परिपेक्ष्य मे संचालनालय आदेश क्रमांक/02/स्था./2016/319-23 दिनांक 15.01.2016 द्वारा श्री सरैया एवं श्री कारपेंटर को प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक से नियमित किया गया।

04/ प्रकरण मे वस्तुस्थिति यह है कि :-

04.2/ म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र.एफ 2-3/97/चि.शि./2/55, दिनांक 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं मे, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अलिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा के आधार पर करने के अधिकार जिला पंचायतों को सौपे गये।

04.3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/38-44 दिनांक 08.10.1998 से सरैया की प्रथम संविदा नियुक्ति शासकीय आयुर्वेद औषधालय, अजनास, जिला देवास मे एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/73-80 दिनांक 08.10.1998 से श्री कारपेंटर की प्रथम संविद नियुक्ति शासकीय आयुर्वेद औषधालय, करनावद, जिला देवास मे आयुर्वेद कम्पाउंडर के पद पर निश्चित मासिक वेतन रू. 2200/- पर संविदा नियुक्ति की गई।

04.4/ उपरोक्त नियुक्ति आदेश क्रमांक/38-44 एवं आदेश क्रमांक/73-80 दिनांक 08.10.1998 में स्पष्ट अंकित है कि यह नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है।

02.....

04.5/ संचालनालय आदेश कमांक/02/स्था./2009/1182-1199 दिनांक 27.02.2009 द्वारा श्री सरैया एवं श्री कारपेंटर को नियमित किया गया।

04.6/ श्री सरैया एवं श्री कारपेंटर के उक्त नियमितीकरण आदेश कमांक /2/स्था./09/1182-1199 दिनांक 27.02.2009 के बिन्दु कमांक (4) में स्पष्ट अंकित है कि "कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति आयुर्वेद कम्पाउंडर के पद पर दो-वर्ष की परिवीक्षावधि पर की जाती है।" इससे यह स्पष्ट है कि श्री सरैया एवं श्री कारपेंटर को उक्त आदेश के सभी बिन्दु मान्य थे, तभी उन्होने नियमित पद पर नियमित किये गये स्थान पर पदभार ग्रहण किया।

05/ प्रकरण मे विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 1644 सत्र दिसम्बर 2019 मे यह उक्त नियमितिकरण के आदेश के संबंध मे प्रश्न प्राप्त हुआ।

06/ उक्त प्राप्त विधान प्रश्न एवं आश्वासन कमांक 977 के तारतम्य मे संचानालय स्तर की समिति गठित कर प्रकरण का परीक्षण कराया गया। जिसमे समिति द्वारा प्रकरण मे विधिवत कार्यवाही न होने से श्री सरैया एवं श्री कारपेन्टर के प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण के आदेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

अतः संचालनालय आदेश कमांक/02/स्था./2016/319-23 दिनांक 15.01.2016 द्वारा श्री ललित सरैया, आयुर्वेद कम्पाउंडर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, अजनास, जिला देवास एवं श्री अशोक कारपेंटर, आयुर्वेद कम्पाउंडर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, करनावद, जिला देवास को प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक से नियमित किये जाने के आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(करलिन खोंगवार देशमुख)
आयुक्त
संचालनालय, आयुष
17/08/2021

कमांक/एफ-88/2021/02/स्था./2640-47 भोपाल, दिनांकः 17/08/2021

प्रतिलिपिः-

01/ निज सचिव, मान. राज्य मंत्री, म.प्र. शासन, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) जल संसाधन विभाग म.प्र.।

02/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.

03/ वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र.।

04/ संभागीय आयुष अधिकारी, उज्जैन म.प्र.।

05/ जिला आयुष अधिकारी, जिला देवास, म.प्र.।

02.....

06/ श्री ललित सरैया, आयुर्वेद कम्पाउंडर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, अजनास, जिला देवास म.प्र.।

07/ श्री अशोक कारपेंटर, आयुर्वेद कम्पाउंडर, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, करनावद, जिला देवास

आयुक्त
संचालनालय, आयुष

10/08/2021

आ०क्र० – 478

परिशिष्ट – "ब"

प्रदेश शासन,
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक–3, चतुर्थ तल,
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 08/07/2020

कमांक– /1183/ 2020/1/59 : संचालनालय के आदेश कमांक/02/स्था./2014/6929–7442 दिनांक 04.09.2014 द्वारा महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नियुक्ति आदेश मे त्रुटिपूर्ण वेतनमान रूपये 4440–7440+1300 ग्रेड–पे के स्थान पर वित्त विभाग की टीप कमांक/674/R762/B6/18 दिनांक 26.10.018 के परिपेक्ष्य मे पूर्व मे सृजित महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद का वेतनमान रूपये 5200–20200 +1800 ग्रेड–पे दिये जाने का संशोधन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सातवां वेतनमान प्रभावशील होने के दिनांक तक एतद् द्वारा किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ.एम.के.अग्रवाल)
सचिव
म.प्र.शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन कमांक/ / /2020/1/59, भोपाल दिनांक /07/2020

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
3. आयुक्त, संचालनालय कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय आयुष म.प्र. भोपाल।
5. आदेश फाईल।

सचिव
म.प्र.शासन, आयुष विभाग

आ० क्र० - 954

परिशिष्ट - "स"

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2020—पौष 13, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 2-83-17-छब्बीस-2 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

Scanned with CamScanner

संशोधन

उक्त नियमों में:–

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"(ग) 'आयुक्त/संचालक' से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी"।

2. नियम 3 में, उप–नियम (2) में:–
(1) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"(दो) 'दिव्यांग व्यक्ति' से अभिप्रेत है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय–एक की धारा 2 की उप धारा (य ग) के अधीन उल्लिखित दिव्यांगता के किसी प्रकार में से अधिनियम के अध्याय–एक की धारा 2 के खण्ड (द) में तथा परिभाषित"।
(2) उप–नियम (3) का लोप किया जाए"।

3. नियम 6 में:–
(1) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"(3) कलेक्टर द्वारा पूर्व में अनुमोदित नक्शे तथा विशेषताओं में कलेक्टर की अनुमति के बिना निर्माण एजेंसी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा"।
(2) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"(4) 10.00 लाख रुपए तक के भवनों के निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा तथा 1.00 करोड़ रुपए तक के नवीन निर्माण के लिए आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा प्रशासकीय और वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाएगा तथा 1.00 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा"।

Scanned with CamScanner

(3) उप–नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(7) भवन निर्माण के लिए अनुदान पूर्व में स्वीकृत की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र, फोटोग्राफ तथा निर्धारण पत्र के आधार पर निराश्रित निधि ई–भुगतान तथा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकिया के अनुसार, ई पी ओ द्वारा या चैक द्वारा 40:40:20 की तीन किश्तों में स्वीकृत किया जाएगा"।

4. नियम 8 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) निराश्रितों के लिए वृद्धाश्रम/विशेष स्कूल/छात्रावास और केन्द्रों की स्थापना करते समय फर्नीचर, पलंग,बिस्तर, टेबल, कुर्सी, खाना पकाने के बर्तन, दैनिक उपयोग के बर्तन, टेलीविजन एवं कम्प्यूटर आदि भण्डार कय नियमों के अधीन निर्धारित की जाने वाली प्रकिया के अनुसार निर्धारित दरों पर अनावर्ती मद में कलेक्टर द्वारा कय किए जाएंगे:

परंतु कलेक्टर 5 वर्ष पश्चात्, आवश्यकता के अनुसार पलंग, टेलीविजन, कम्प्यूटर आदि, जिन्हें बदले जाने की आवश्यकता हो, उन्हें कय कर सकेगा/बदल सकेगा:

परंतु यह और कि वस्त्र, बिस्तर (तकिया, कम्बल/रजाई, चादर आदि), खाना पकाने के बर्तन एवं दैनिक उपयोग के बर्तन आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष कय किए/बदले जा सकेंगे"।

5. नियम 11 में:–

(1) खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ञ) निराश्रितों से संबंधित शासकीय संस्थाओं की अवसंरचना के सुधार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करना तथा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन संस्थाओं के अनुरक्षण पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करना"।

(2) खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(ड) नियम 3 में उल्लिखित निराश्रित को पेंशन, आर्थिक सहायता प्रदान करना"।

6. नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"12. विभिन्न स्तरों पर निराश्रित निधि के उपयोग का अनुमोदन–

(1) नियम 11 के प्रयोजन के लिए, संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय

Scanned with CamScanner

एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग विहित भुगतान प्रकिया के अनुसार निराश्रित निधि में से एक बार में या एक माह के भीतर रुपए 25,000/– तथा निराश्रित निधि ई–भुगतान तथा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पूरे वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपए 2.50 लाख की सीमा तक ब्याज की रकम का उपयोग कर सकेगा।

(2) कलेक्टर, नियम 11 के प्रयोजन के लिए किसी एकल संस्था/अभिकरण के प्रबंधन या कार्य के प्रयोजन के लिए निराश्रित निधि की जमा पर अर्जित ब्याज की रकम एक बार में दो लाख रुपए की सीमा तक विहित प्रकिया के अनुसार निराश्रित निधि ई–पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कर सकेगा। उक्त रकम से अधिक के विहित खर्च/आहरण के लिए प्रस्ताव, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की लिखित सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही मंजूर किया जा सकेगा।

(3) नियम 11 में उल्लिखित (क) से (ठ) तक के प्रयोजनों के लिए, निराश्रित निधि की मूल/ब्याज की रकम के उपयोग के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण 10 लाख रुपए की सीमा तक मूलधन/ब्याज की राशि से निराश्रित निधि ई–भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से व्यय करने की मंजूरी दे सकेगा तथा उक्त रकम से अधिक की दशा में, मंजूरी राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दी जाएगी परंतु नियम 11 के खण्ड (ड) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए व्यय की स्वीकृति केवल राज्य शासन द्वारा दी जा सकेगी।

(4) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा कृषि उपज मंडियों से प्राप्त होने वाली राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक खाते में जमा होगी तथा जिला कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ई.पी.ओ. के माध्यम से इस खाते को संधारित करेंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से लेखा रिपोर्ट तैयार कराकर तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा इसको भेजेंगे तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अनिवार्यतः लेखा संपरीक्षण कराएंगे।

(5) नियम 11 के प्रयोजन के लिए, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण एक बार में अधिकतम रुपए 10.00 लाख की राशि तक ई.पी.ओ. को स्वीकृत कर संबंधित को ई–भुगतान कर सकेंगे। रुपए 10.00 लाख से अधिक के ई–भुगतान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशकजन कल्याण विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

7. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"13. अंतःवासी की अंत्येष्टि:–

-59-

Scanned with CamScanner

(1) आश्रम के कीसी अंतःवासी की मृत्यु होने की दशा में उसका शव उसके परिवार के संदस्यों को या उसके निकटतम संबंधियों को सौंप दिया जाएगा :

परंतु यदि सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे तक शव प्राप्त करने के लिए कोई संबंधी/व्यक्ति नहीं आता है या निराश्रित के परिवार का कोई सदस्य अथवा संबंधी नहीं है, तो आश्रम में उपलब्ध निधि से उसकी अंत्येष्टि उसके धर्म के अनुसार की जाएगी, किन्तु ऐसा व्यय रुपए 5000/— (पांच हजार रुपए मात्र) से अधिक का नहीं होगा।

(2) कलेक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति के शव की, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन कर रहा हो एवं जो निराश्रित की परिभाषा में आता हो, अंत्येष्टि हेतु निराश्रित निधि में से 5000/— (पांच हजार रुपए) के व्यय की मंजूरी दी जा सकेगी।

8. नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"13 क आपात्कालीन सहायता— निःशक्तजन, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यता होने पर, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से ई—भुगतान के माध्यम से रुपए 5000/— (पांच हजार मात्र) तक की आर्थिक सहायता, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा प्राधिकृत संचालनालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा निराश्रित निधि ई—भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रयोजन हेतु संगृहीत राशि का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा"।

9. नियम 19 में, उप—नियम (1) में:—

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(कक) निराश्रित निधि खाता— निराश्रित निधि के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय बैंक में खाता संचालित किया जाएगा।

(कख) मंडियों से प्राप्त होने वाली समस्त आय केवल राज्य स्तरीय सिंगल बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।

(कग) जिलावार प्राप्त समस्त आय एवं व्यय का पृथक—पृथक लेखांकन संचालनालय स्तर पर किया जाएगा। जिसमे ब्याज से प्राप्त आय संबंधित जिले की मंडियों से प्राप्त आय के अनुपात में जिलावार विभाजित कर लेखांकित की जाएगी।

(कघ) नियम 11 में उल्लिखित प्रायोजनों के लिए निराश्रित निधि राज्य स्तरीय खाते से ही निराश्रित निधि ई—भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली पर ई.पी.ओ. के माध्यम से नियम 12 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् भुगतान की जाएगी"।

Scanned with CamScanner

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) उपरोक्त कंडिका (कख) के अनुसार प्राप्त आय की कुल 20 प्रतिशत राज्य निराश्रित निधि के रुप में लेखांकित की जाएगी तथा इसी अनुपात में राज्य निराश्रित निधि के ब्याज को भी लेखांकित किया जाएगा"।

(ग) खण्ड (घ) का लोप किया जाए।

(घ) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ड) निराश्रित निधि के राज्य स्तरीय खाते, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा संचालित किए जाएंगे"।

(2) उप–नियम (2) में:—

(क) खण्ड (क) का लोप किया जाए।

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) निराश्रित निधि में जमा रकम तथा उसके व्यय वित्तीय वर्ष के अवसान के तीन माह की कालावधि के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षित की जाएगी तथा मध्यप्रदेश महालेखा संपरीक्षक के कार्यालय से भी अनिवार्यतः लेखा संपरीक्षण कराना होगा"।

10. नियम 20 में, उप–नियम (2) का लोप किया जाए।

Scanned with CamScanner